

NYAYA PATHSHALA ACADEMY · JUDICIAL SERVICES

Judiciary Prelims Test Series · Mock Test 02

न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा · मॉक टेस्ट 02

100

Questions · प्रश्न

120

Minutes · मिनट

100

Marks · अंक

EN·हि

Bilingual · द्विभाषी

Instructions · निर्देश

- Each question has four options; choose the one best answer.
प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं; एक सर्वोत्तम उत्तर चुनें।
- Time the paper strictly. Negative marking varies by state (none, $\frac{1}{4}$ or $\frac{1}{3}$); follow your state's pattern.
समय का कड़ाई से पालन करें। नकारात्मक अंकन राज्यवार भिन्न है (नहीं, $\frac{1}{4}$ या $\frac{1}{3}$); अपने राज्य के पैटर्न का पालन करें।
- Attempt the full paper before opening the answer key and explanations at the end.
अंत में दी गई उत्तर कुंजी और व्याख्या देखने से पहले पूरा प्रश्नपत्र हल करें।
- Laws cited follow BNS, BNSS and BSA (in force from 1 July 2024) where relevant.
जहाँ प्रासंगिक है, BNS, BNSS और BSA (1 जुलाई 2024 से प्रभावी) के अनुसार।
- Take this paper online with timer, instant score and subject-wise analysis: scan the QR code on any page.
टाइमर, तुरंत स्कोर और विषयवार विश्लेषण के साथ ऑनलाइन टेस्ट दें: किसी भी पृष्ठ का QR कोड स्कैन करें।

Subjects in this paper · विषय

Constitution	12	Limitation	4
BNS	12	Hindu Law	5
BNSS	12	Muslim Law	4
BSA	10	Torts	2
CPC	12	Jurisprudence	2
Contract	7	Interpretation	1
Specific Relief	3	Landmark Judgments	8
TPA	6		

Original mock paper by Nyaya Pathshala faculty · not a previous-year paper · मौलिक मॉक प्रश्नपत्र, पिछले वर्ष का प्रश्नपत्र नहीं



Questions · प्रश्न

1. Article 20(3) of the Constitution of India provides that:

Constitution

भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(3) उपबंधित करता है कि:

- | | |
|---|---|
| <p>(A) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा</p> <p>(C) No person shall be convicted except for violation of a law in force at the time of the act
किसी व्यक्ति को कार्य के समय प्रवृत्त विधि के उल्लंघन के सिवाय दोषसिद्ध नहीं किया जाएगा</p> | <p>(B) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself
किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा</p> <p>(D) Every arrested person shall be informed of the grounds of arrest
प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराया जाएगा</p> |
|---|---|

2. Article 21A (Right to Education) was inserted in the Constitution by which Amendment?

Constitution

अनुच्छेद 21क (शिक्षा का अधिकार) संविधान में किस संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) 42nd Amendment, 1976
42वाँ संशोधन, 1976</p> <p>(C) 86th Amendment, 2002
86वाँ संशोधन, 2002</p> | <p>(B) 44th Amendment, 1978
44वाँ संशोधन, 1978</p> <p>(D) 73rd Amendment, 1992
73वाँ संशोधन, 1992</p> |
|---|---|

3. Under Article 22(2), every person arrested and detained in custody shall be produced before the nearest Magistrate within a period of:

Constitution

अनुच्छेद 22(2) के अधीन गिरफ्तार कर अभिरक्षा में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष किस अवधि के भीतर पेश किया जाएगा?

- | | |
|---|--|
| <p>(A) 24 hours, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court
24 घंटे, गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर</p> <p>(C) 24 hours, including the time of journey
24 घंटे, यात्रा के समय सहित</p> | <p>(B) 48 hours, including the time of journey
48 घंटे, यात्रा के समय सहित</p> <p>(D) 72 hours, excluding public holidays
72 घंटे, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर</p> |
|---|--|

4. Clauses (1) and (2) of Article 22 do NOT apply to a person who:

Constitution

अनुच्छेद 22 के खंड (1) और (2) किस व्यक्ति पर लागू नहीं होते?

- | | |
|---|--|
| <p>(A) is arrested for a non-bailable offence
जो अजमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है</p> <p>(C) is arrested by a private person
जिसे किसी प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है</p> | <p>(B) is a citizen of a friendly foreign country
जो किसी मित्र विदेशी राष्ट्र का नागरिक है</p> <p>(D) is for the time being an enemy alien
जो तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है</p> |
|---|--|



5. Article 23 of the Constitution prohibits:

Constitution

संविधान का अनुच्छेद 23 किसका प्रतिषेध करता है?

- | | |
|---|--|
| <p>(A) Untouchability
अस्पृश्यता</p> <p>(C) Employment of children in factories
कारखानों में बालकों का नियोजन</p> | <p>(B) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour
मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्क्रम</p> <p>(D) Conferment of titles by the State
राज्य द्वारा उपाधियाँ प्रदान करना</p> |
|---|--|

6. Under Article 24, no child below the age of ____ years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.

Constitution

अनुच्छेद 24 के अधीन ____ वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

- | | |
|---|---|
| <p>(A) 12
12</p> <p>(C) 14
14</p> | <p>(B) 16
16</p> <p>(D) 18
18</p> |
|---|---|

7. Under Explanation I to Article 25, which of the following is deemed to be included in the profession of the Sikh religion?

Constitution

अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण 1 के अधीन निम्नलिखित में से क्या सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाता है?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) Wearing and carrying of kirpans
कृपाण धारण करना और लेकर चलना</p> <p>(C) Pilgrimage to Amritsar
अमृतसर की तीर्थयात्रा</p> | <p>(B) Running of langar
लंगर चलाना</p> <p>(D) Wearing of a turban in all public offices
सभी लोक कार्यालयों में पगड़ी पहनना</p> |
|---|---|

8. The right of all minorities, whether based on religion or language, to establish and administer educational institutions of their choice is guaranteed by:

Constitution

धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किसके द्वारा प्रत्याभूत है?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) Article 29(1)
अनुच्छेद 29(1)</p> <p>(C) Article 26
अनुच्छेद 26</p> | <p>(B) Article 28
अनुच्छेद 28</p> <p>(D) Article 30(1)
अनुच्छेद 30(1)</p> |
|---|---|

9. Which Article did Dr. B.R. Ambedkar describe as 'the very soul of the Constitution and the very heart of it'?

Constitution

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को 'संविधान की आत्मा और उसका हृदय' कहा था?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) Article 21
अनुच्छेद 21</p> <p>(C) Article 32
अनुच्छेद 32</p> | <p>(B) Article 14
अनुच्छेद 14</p> <p>(D) Article 226
अनुच्छेद 226</p> |
|---|---|



10. Article 39A (equal justice and free legal aid) was inserted by:

Constitution

अनुच्छेद 39क (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) किसके द्वारा अंतःस्थापित किया गया?

- | | |
|--|--|
| (A) 44th Amendment, 1978
44वाँ संशोधन, 1978 | (B) 42nd Amendment, 1976
42वाँ संशोधन, 1976 |
| (C) 25th Amendment, 1971
25वाँ संशोधन, 1971 | (D) 97th Amendment, 2011
97वाँ संशोधन, 2011 |

11. Match List I (Article) with List II (Subject): (a) Article 39A (b) Article 40 (c) Article 44 (d) Article 45 — 1. Uniform civil code 2. Organisation of village panchayats 3. Early childhood care and education for children below six years 4. Equal justice and free legal aid. Choose the correct code:

Constitution

सूची I (अनुच्छेद) को सूची II (विषय) से सुमेलित कीजिए: (a) अनुच्छेद 39क (b) अनुच्छेद 40 (c) अनुच्छेद 44 (d) अनुच्छेद 45 — 1. समान सिविल संहिता 2. ग्राम पंचायतों का संगठन 3. छह वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 4. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सही कूट चुनिए:

- | | |
|--|--|
| (A) a-4, b-2, c-1, d-3
a-4, b-2, c-1, d-3 | (B) a-2, b-4, c-3, d-1
a-2, b-4, c-3, d-1 |
| (C) a-4, b-1, c-2, d-3
a-4, b-1, c-2, d-3 | (D) a-3, b-2, c-1, d-4
a-3, b-2, c-1, d-4 |

12. Under Article 33, the power to determine to what extent fundamental rights shall be restricted or abrogated in their application to members of the Armed Forces vests in:

Constitution

अनुच्छेद 33 के अधीन सशस्त्र बलों के सदस्यों पर लागू होने में मूल अधिकारों को किस सीमा तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए, यह अवधारित करने की शक्ति किसमें निहित है?

- | | |
|--|---|
| (A) The President
राष्ट्रपति | (B) Parliament, by law
संसद, विधि द्वारा |
| (C) The Chief of Defence Staff
रक्षा प्रमुख | (D) The State Legislatures
राज्य विधानमंडल |

13. Under Section 20 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, nothing is an offence which is done by a child under:

BNS

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 20 के अधीन कोई बात अपराध नहीं है जो _____ से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (A) 10 years of age
10 वर्ष | (B) 12 years of age
12 वर्ष |
| (C) 14 years of age
14 वर्ष | (D) 7 years of age
7 वर्ष |

14. Section 21 of BNS (old Section 83 IPC) gives qualified immunity to a child who is:

BNS

BNS की धारा 21 (पुरानी IPC धारा 83) किस शिशु को सशर्त उन्मुक्ति देती है?

- | | |
|---|---|
| (A) above 7 and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding
7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु का शिशु जिसने पर्याप्त परिपक्व समझ प्राप्त नहीं की है | (B) above 12 and under 16 years of age
12 वर्ष से ऊपर और 16 वर्ष से कम आयु का शिशु |
| (C) under 7 years of age
7 वर्ष से कम आयु का शिशु | (D) above 7 and under 14 years of age
7 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से कम आयु का शिशु |



- 15. Section 22 of BNS, dealing with an act of a person of unsound mind, corresponds to which section of the Indian Penal Code, 1860?**

BNS

विकृतचित्त व्यक्ति के कार्य से संबंधित BNS की धारा 22 भारतीय दंड संहिता, 1860 की किस धारा के तत्स्थानी है?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) Section 82
धारा 82 | (B) Section 85
धारा 85 |
| (C) Section 84
धारा 84 | (D) Section 86
धारा 86 |

- 16. The defence of intoxication under Section 23 of BNS is available when:**

BNS

BNS की धारा 23 के अधीन मत्तता का बचाव कब उपलब्ध है?

- | | |
|--|--|
| (A) the accused intoxicated himself voluntarily
जब अभियुक्त ने स्वेच्छा से मत्तता प्राप्त की हो | (B) the thing which intoxicated him was administered without his knowledge or against his will
जब मत्त करने वाली वस्तु उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो |
| (C) the accused is a habitual drinker
जब अभियुक्त आदतन मद्यपान करता हो | (D) the offence is punishable with fine only
जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो |

- 17. 'Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence' is provided in which section of BNS?**

BNS

'कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है' — यह BNS की किस धारा में उपबंधित है?

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (A) Section 34
धारा 34 | (B) Section 38
धारा 38 |
| (C) Section 44
धारा 44 | (D) Section 100
धारा 100 |

- 18. Under Section 38 of BNS (old Section 100 IPC), the right of private defence of the body extends to voluntarily causing death in all of the following cases EXCEPT:**

BNS

BNS की धारा 38 (पुरानी IPC धारा 100) के अधीन शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी दशाओं में स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है?

- | | |
|---|---|
| (A) an assault with the intention of kidnapping or abducting
व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला | (B) an act of throwing or administering acid which may reasonably cause apprehension of grievous hurt
अम्ल फेंकने या देने का कार्य जिससे घोर उपहति की युक्तियुक्त आशंका हो |
| (C) an assault with the intention of committing rape
बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला | (D) an attempt to commit simple theft of a mobile phone from the person's bag
व्यक्ति के बैग से मोबाइल फोन की साधारण चोरी का प्रयत्न |



- 19. Under Section 41 of BNS (old Section 103 IPC), the right of private defence of property extends to voluntarily causing death in which of the following cases?**

BNS

BNS की धारा 41 (पुरानी IPC धारा 103) के अधीन संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस दशा में स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है?

- | | |
|--|---|
| (A) Simple criminal trespass into an open field by day
दिन में खुले खेत में साधारण आपराधिक अतिचार | (B) Mischief to a standing crop
खड़ी फसल को रिष्टि |
| (C) House-breaking after sunset and before sunrise
सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह-भेदन | (D) Theft of a bicycle parked on a public road, with no apprehension of hurt
सार्वजनिक सड़क पर खड़ी साइकिल की चोरी, जिसमें उपहति की कोई आशंका न हो |

- 20. Under Section 28 of BNS (old Section 90 IPC), consent is not valid if, unless the contrary appears from the context, it is given by a person who is under the age of:**

BNS

BNS की धारा 28 (पुरानी IPC धारा 90) के अधीन, जब तक संदर्भ से विपरीत प्रतीत न हो, सम्मति वैध नहीं है यदि वह _____ से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई हो:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (A) 18 years
18 वर्ष | (B) 12 years
12 वर्ष |
| (C) 16 years
16 वर्ष | (D) 7 years
7 वर्ष |

- 21. Which of the following has been introduced as a distinct offence in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Section 304), having no separate counterpart in the IPC?**

BNS

निम्नलिखित में से किसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 304) में एक पृथक अपराध के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका IPC में कोई पृथक प्रतिरूप नहीं था?

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (A) Snatching
झपटमारी (स्नैचिंग) | (B) Extortion
उद्दापन |
| (C) Dacoity
डकैती | (D) Criminal breach of trust
आपराधिक न्यासभंग |

- 22. Which section of BNS deals with acts endangering sovereignty, unity and integrity of India?**

BNS

BNS की कौन-सी धारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कार्यों से संबंधित है?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) Section 147
धारा 147 | (B) Section 113
धारा 113 |
| (C) Section 150
धारा 150 | (D) Section 152
धारा 152 |

- 23. Match the BNS sections with the offences: (a) Section 63 (b) Section 80 (c) Section 85 (d) Section 106 — 1. Causing death by negligence 2. Rape 3. Cruelty by husband or his relatives 4. Dowry death. Choose the correct code:**

BNS

BNS की धाराओं को अपराधों से सुमेलित कीजिए: (a) धारा 63 (b) धारा 80 (c) धारा 85 (d) धारा 106 — 1. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना 2. बलात्संग 3. पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता 4. देहेज मृत्यु। सही कूट चुनिए:

- | | |
|--|--|
| (A) a-4, b-2, c-3, d-1
a-4, b-2, c-3, d-1 | (B) a-2, b-3, c-4, d-1
a-2, b-3, c-4, d-1 |
| (C) a-2, b-4, c-3, d-1
a-2, b-4, c-3, d-1 | (D) a-1, b-4, c-3, d-2
a-1, b-4, c-3, d-2 |



24. Which new kind of punishment has been added in Section 4 of BNS that was not in Section 53 of the IPC?

BNS

BNS की धारा 4 में कौन-सा नया दंड जोड़ा गया है जो IPC की धारा 53 में नहीं था?

- | | |
|---|---|
| (A) Forfeiture of property
संपत्ति का समपहरण | (B) Community service
सामुदायिक सेवा |
| (C) Imprisonment for life
आजीवन कारावास | (D) Simple imprisonment
सादा कारावास |

25. The power of police to arrest without warrant (formerly Section 41 CrPC) is contained in which section of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023?

BNSS

पुलिस द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति (पूर्व में CrPC धारा 41) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की किस धारा में है?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) Section 35
धारा 35 | (B) Section 41
धारा 41 |
| (C) Section 43
धारा 43 | (D) Section 47
धारा 47 |

26. Under Section 37 of the BNSS, the State Government shall designate, in every district and in every police station, a police officer responsible for maintaining information about the names and addresses of persons arrested and the nature of the offences with which they are charged. Such officer shall be not below the rank of:

BNSS

BNSS की धारा 37 के अधीन राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेगी, जो गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, पते और उन पर आरोपित अपराधों की प्रकृति संबंधी जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा अधिकारी किस पद से अनिवार्य होगा?

- | | |
|--|---|
| (A) Inspector of Police
पुलिस निरीक्षक | (B) Sub-Inspector of Police
पुलिस उप-निरीक्षक |
| (C) Assistant Sub-Inspector of Police
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक | (D) Deputy Superintendent of Police
उप पुलिस अधीक्षक |

27. Under Section 40 BNSS (old Section 43 CrPC), a private person may arrest any person who in his presence commits:

BNSS

धारा 40 BNSS (पुरानी CrPC धारा 43) के अधीन कोई प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में:

- | | |
|--|---|
| (A) any offence whatsoever
कोई भी अपराध करता है | (B) a cognizable offence only, whether bailable or not
केवल संज्ञेय अपराध करता है, चाहे जमानतीय हो या नहीं |
| (C) a bailable and non-cognizable offence
जमानतीय और असंज्ञेय अपराध करता है | (D) a non-bailable and cognizable offence
अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है |



- 28. The use of handcuffs at the time of arrest of certain categories of accused (such as habitual offenders or persons who escaped from custody) is expressly provided in which section of BNSS?**

BNSS

कुछ श्रेणियों के अभियुक्तों (जैसे आदतन अपराधी या अभिरक्षा से निकल भागे व्यक्ति) की गिरफ्तारी के समय हथकड़ी के प्रयोग का स्पष्ट उपबंध BNSS की किस धारा में है?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) Section 35
धारा 35 | (B) Section 43
धारा 43 |
| (C) Section 47
धारा 47 | (D) Section 58
धारा 58 |

- 29. Under Section 43(5) BNSS, in exceptional circumstances a woman may be arrested after sunset and before sunrise by a woman police officer only with the prior permission of:**

BNSS

धारा 43(5) BNSS के अधीन असाधारण परिस्थितियों में किसी महिला को सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व महिला पुलिस अधिकारी द्वारा केवल किसकी पूर्व अनुमति से गिरफ्तार किया जा सकता है?

- | | |
|---|---|
| (A) the Judicial Magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made
उस प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है | (B) the Superintendent of Police of the district
जिले के पुलिस अधीक्षक की |
| (C) the Sessions Judge
सेशन न्यायाधीश की | (D) the officer in charge of the police station
पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की |

- 30. The duty of a police officer arresting without warrant to forthwith communicate to the arrested person full particulars of the offence or other grounds of arrest is contained in BNSS section:**

BNSS

वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का गिरफ्तार व्यक्ति को अपराध की पूर्ण विशिष्टियाँ या गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करने का कर्तव्य BNSS की किस धारा में है?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) Section 36
धारा 36 | (B) Section 48
धारा 48 |
| (C) Section 47
धारा 47 | (D) Section 52
धारा 52 |

- 31. Under Section 58 BNSS (old Section 57 CrPC), a person arrested without warrant shall not be detained by a police officer, in the absence of a special order of a Magistrate under Section 187, for a period exceeding:**

BNSS

धारा 58 BNSS (पुरानी CrPC धारा 57) के अधीन वारंट के बिना गिरफ्तार व्यक्ति को धारा 187 के अधीन मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में पुलिस अधिकारी कितनी अवधि से अधिक निरुद्ध नहीं रखेगा?

- | | |
|-------------------------|--|
| (A) 48 hours
48 घंटे | (B) 12 hours
12 घंटे |
| (C) 36 hours
36 घंटे | (D) 24 hours, exclusive of the time necessary for the journey
24 घंटे, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर |



32. Under Section 173 BNSS, information relating to the commission of a cognizable offence may be given:

BNSS

धारा 173 BNSS के अधीन संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित इतिला दी जा सकती है:

- | | |
|--|---|
| <p>(A) only at the police station having territorial jurisdiction over the place of offence
केवल उस पुलिस थाने में जिसकी अपराध के स्थान पर क्षेत्रीय अधिकारिता है</p> <p>(C) only in writing signed by the informant
केवल सूचनादाता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में</p> | <p>(B) irrespective of the area where the offence is committed, orally or by electronic communication
अपराध के क्षेत्र का विचार किए बिना, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा</p> <p>(D) only to a Judicial Magistrate
केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को</p> |
|--|---|

33. Under Section 38 of the BNSS, when any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice:

BNSS

BNSS की धारा 38 के अधीन जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जाती है, तो वह अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा:

- | | |
|---|--|
| <p>(A) During interrogation, though not throughout interrogation
पूछताछ के दौरान, यद्यपि संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं</p> <p>(C) Only after the interrogation is complete
केवल पूछताछ पूर्ण होने के पश्चात्</p> | <p>(B) Throughout the entire interrogation
संपूर्ण पूछताछ के दौरान</p> <p>(D) Only with the prior permission of the Magistrate
केवल मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा से</p> |
|---|--|

34. Under Section 42(1) of the BNSS, no member of the Armed Forces of the Union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of:

BNSS

BNSS की धारा 42(1) के अधीन संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसकी सम्मति प्राप्त किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा?

- | | |
|---|--|
| <p>(A) The Chief Judicial Magistrate
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट</p> <p>(C) The Central Government
केन्द्रीय सरकार</p> | <p>(B) The State Government
राज्य सरकार</p> <p>(D) The Chief of the Army Staff
थल सेनाध्यक्ष</p> |
|---|--|

35. The saving of inherent powers of the High Court, formerly in Section 482 CrPC, is now contained in BNSS section:

BNSS

उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति, जो पूर्व में CrPC धारा 482 में थी, अब BNSS की किस धारा में है?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) Section 482
धारा 482</p> <p>(C) Section 530
धारा 530</p> | <p>(B) Section 483
धारा 483</p> <p>(D) Section 528
धारा 528</p> |
|---|---|



- 36. Under Section 23 BNSS, the Court of a Magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years, or of fine not exceeding:**

BNSS

धारा 23 BNSS के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास का, या कितने से अनधिक जुर्माने का दंडादेश दे सकता है?

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| (A) 10,000 rupees
10,000 रुपये | (B) 50,000 rupees
50,000 रुपये |
| (C) 1,00,000 rupees
1,00,000 रुपये | (D) 5,000 rupees
5,000 रुपये |

- 37. Facts which, though not in issue, are so connected with a fact in issue as to form part of the same transaction are relevant under the doctrine of:**

BSA

वे तथ्य जो विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, किस सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत हैं?

- | | |
|--|---------------------------------|
| (A) Res gestae
रेस जेस्टे (एक ही संव्यवहार) | (B) Estoppel
विबंध |
| (C) Res judicata
प्राङ्गन्याय | (D) Hearsay
अनुश्रुत साक्ष्य |

- 38. A, B and C are alleged to have conspired to wage war against the Government of India. A letter written by B to C, after the conspiracy was entered into, in reference to their common intention, is under the BSA:**

BSA

A, B और C पर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र रचने का अभिकथन है। षड्यंत्र रचे जाने के पश्चात् सामान्य आशय के प्रति निर्देश से B द्वारा C को लिखा गया पत्र BSA के अधीन:

- | | |
|---|---|
| (A) irrelevant, being hearsay
अनुश्रुत होने के कारण विसंगत है | (B) relevant only against B, its author
केवल उसके लेखक B के विरुद्ध सुसंगत है |
| (C) relevant against A, B and C for proving the existence of the conspiracy and that each was a party to it
षड्यंत्र के अस्तित्व और प्रत्येक के उसमें पक्षकार होने को साबित करने के लिए A, B और C के विरुद्ध सुसंगत है | (D) admissible only if B is examined as a witness
केवल तभी ग्राह्य है जब B की साक्षी के रूप में परीक्षा हो |

- 39. A is tried for the murder of B by poison. The fact that, before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is relevant as showing:**

BSA

A का विचारण B की विष द्वारा हत्या के लिए हो रहा है। यह तथ्य कि B की मृत्यु से पूर्व A ने वैसा ही विष प्राप्त किया था जैसा B को दिया गया, किस रूप में सुसंगत है?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) Motive
हेतु | (B) Preparation
तैयारी |
| (C) Admission
स्वीकृति | (D) Character
शील |



40. The plea of alibi rests on the relevancy of facts which are:

BSA

अन्यत्र उपस्थिति (एलिबाई) का अभिवाक् किन तथ्यों की सुसंगति पर आधारित है?

- | | |
|---|---|
| (A) part of the same transaction
जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं | (B) the motive for the act
जो कार्य का हेतु हैं |
| (C) admissions by the accused
जो अभियुक्त की स्वीकृतियाँ हैं | (D) inconsistent with any fact in issue or relevant fact
जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं |

41. A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. It is proved that at the same time he was in possession of many other stolen articles. This fact is relevant as tending to show:

BSA

A पर चोरी की संपत्ति यह जानते हुए प्राप्त करने का अभियोग है कि वह चोरी की है। यह साबित होता है कि उसी समय उसके कब्जे में अन्य अनेक चोरी की वस्तुएँ थीं। यह तथ्य किस बात को दर्शाने के लिए सुसंगत है?

- | | |
|---|--|
| (A) his knowledge, i.e. existence of a state of mind
उसका ज्ञान, अर्थात् मन की दशा का अस्तित्व | (B) res gestae
एक ही संव्यवहार |
| (C) a custom
कोई रूढ़ि | (D) his good character
उसका अच्छा शील |

42. Under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, an 'admission' is a statement which may be:

BSA

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अधीन 'स्वीकृति' ऐसा कथन है जो हो सकता है:

- | | |
|--|---|
| (A) oral only
केवल मौखिक | (B) oral or documentary only
केवल मौखिक या दस्तावेजी |
| (C) oral or documentary or contained in electronic form
मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्निहित | (D) only in writing and signed by the party
केवल लिखित और पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित |

43. Under the BSA, the rule corresponding to Section 27 of the Indian Evidence Act, 1872 (information received from an accused in police custody leading to discovery of a fact) is found in:

BSA

BSA के अधीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 (पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त से प्राप्त इतिहास जिससे किसी तथ्य का पता चले) के तत्स्थानी नियम कहाँ है?

- | | |
|---------------------------|--|
| (A) Section 22
धारा 22 | (B) the proviso to Section 23
धारा 23 का परंतुक |
| (C) Section 24
धारा 24 | (D) Section 26
धारा 26 |

44. Consideration of a proved confession affecting the person making it and others jointly under trial for the same offence (old Section 30 Evidence Act) is provided in BSA section:

BSA

एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित व्यक्तियों में से संस्वीकृति करने वाले और अन्य को प्रभावित करने वाली साबित संस्वीकृति पर विचार (पुरानी साक्ष्य अधिनियम धारा 30) BSA की किस धारा में है?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) Section 22
धारा 22 | (B) Section 23
धारा 23 |
| (C) Section 26
धारा 26 | (D) Section 24
धारा 24 |



45. Statements made by persons who are dead or cannot be found etc., including a dying declaration (old Section 32 Evidence Act), are dealt with in BSA section:

BSA

मृत या न मिल सकने वाले व्यक्तियों आदि के कथन, जिनमें मृत्युकालिक कथन भी है (पुरानी साक्ष्य अधिनियम धारा 32), BSA की किस धारा में हैं?

(A) Section 26
धारा 26

(B) Section 32
धारा 32

(C) Section 39
धारा 39

(D) Section 27
धारा 27

46. A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. The facts that A lived in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received payment from a different insurance office, are, under Section 13 of the BSA:

BSA

A पर बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए अपना घर जलाने का अभियोग है। यह तथ्य कि A क्रमशः कई घरों में रहा, जिनमें से प्रत्येक का उसने बीमा कराया, प्रत्येक में आग लगी और प्रत्येक आग के पश्चात् A ने किसी भिन्न बीमा कार्यालय से भुगतान प्राप्त किया, BSA की धारा 13 के अधीन:

(A) Irrelevant, as evidence of similar facts is barred
विसंगत हैं, क्योंकि समरूप तथ्यों का साक्ष्य वर्जित है

(B) Relevant only to show A's bad character
केवल A के बुरे चरित्र को दर्शाने के लिए सुसंगत हैं

(C) Relevant, as tending to show that the fires were not accidental
सुसंगत हैं, क्योंकि वे यह दर्शाने की प्रवृत्ति रखते हैं कि आग आकस्मिक नहीं थी

(D) Conclusive proof of A's guilt
A की दोषिता का निश्चयक सबूत हैं

47. Under Order V Rule 15 CPC, where the defendant is absent from his residence and has no agent empowered to accept service, the summons may be served on an adult member of his family residing with him. According to the Explanation to this Rule:

CPC

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश V नियम 15 के अधीन जहाँ प्रतिवादी अपने निवास से अनुपस्थित है और सेवा स्वीकार करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता नहीं है, वहाँ समन उसके साथ रहने वाले उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य पर तामील किया जा सकता है। इस नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार:

(A) A servant is a member of the family for this purpose
इस प्रयोजन के लिए सेवक कुटुम्ब का सदस्य है

(B) A servant is not a member of the family for this purpose
इस प्रयोजन के लिए सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है

(C) Only an adult male member of the family can accept service
केवल कुटुम्ब का वयस्क पुरुष सदस्य ही तामील स्वीकार कर सकता है

(D) Service on a member of the family is invalid unless the court so directs
कुटुम्ब के सदस्य पर तामील तब तक अविधिमान्य है जब तक न्यायालय ऐसा निर्देश न दे

48. Under Explanation I to Section 11 CPC, the expression 'former suit' denotes a suit which:

CPC

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण I के अधीन 'पूर्ववर्ती वाद' पद से ऐसा वाद अभिप्रेत है जो:

(A) Was instituted prior to the suit in question
प्रश्नगत वाद से पूर्व संस्थित किया गया था

(B) Was both instituted and decided prior to the suit in question
प्रश्नगत वाद से पूर्व संस्थित और विनिश्चित दोनों किया गया था

(C) Is pending at the time of institution of the suit in question
प्रश्नगत वाद के संस्थित किए जाने के समय लंबित है

(D) Has been decided prior to the suit in question, whether or not it was instituted prior thereto
प्रश्नगत वाद से पूर्व विनिश्चित किया जा चुका है, चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं



49. Under Order IV Rule 1(1) CPC, every suit shall be instituted by:

CPC

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IV नियम 1(1) के अधीन प्रत्येक वाद संस्थित किया जाएगा:

- | | |
|---|--|
| <p>(A) Presenting a plaint in duplicate to the Court or such officer as it appoints in this behalf
न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी को दो प्रतियों में वादपत्र उपस्थित करके</p> <p>(C) Filing an affidavit of the plaintiff before the Court
न्यायालय के समक्ष वादी का शपथपत्र फाइल करके</p> | <p>(B) Presenting a plaint in triplicate to the Court
न्यायालय को तीन प्रतियों में वादपत्र उपस्थित करके</p> <p>(D) Serving a notice on the defendant and filing a copy in the Court
प्रतिवादी पर सूचना तामील करके और उसकी प्रति न्यायालय में फाइल करके</p> |
|---|--|

50. Where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which the Code applies. This is provided in:

CPC

जहाँ वादी नियमों द्वारा किसी विशिष्ट वाद-हेतुक के संबंध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से प्रवारित है, वहाँ वह ऐसे वाद-हेतुक के संबंध में किसी ऐसे न्यायालय में वाद संस्थित करने का हकदार नहीं होगा जिसे संहिता लागू होती है। यह उपबंध है:

- | | |
|---|---|
| <p>(A) Section 10 CPC
धारा 10 CPC</p> <p>(C) Section 12 CPC
धारा 12 CPC</p> | <p>(B) Section 11 CPC
धारा 11 CPC</p> <p>(D) Section 13 CPC
धारा 13 CPC</p> |
|---|---|

51. Which of the following is NOT one of the grounds under Section 13 CPC on which a foreign judgment is not conclusive?

CPC

निम्नलिखित में से कौन धारा 13 CPC के अधीन वह आधार नहीं है जिस पर विदेशी निर्णय निश्चयक नहीं होता?

- | | |
|--|--|
| <p>(A) Where it has not been given on the merits of the case
जहाँ वह मामले के गुणागुण पर नहीं दिया गया है</p> <p>(C) Where it has been obtained by fraud
जहाँ वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है</p> | <p>(B) Where it has been passed by a court of a country which is not a reciprocating territory
जहाँ वह ऐसे देश के न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो व्यतिकारी राज्यक्षेत्र नहीं है</p> <p>(D) Where the proceedings were opposed to natural justice
जहाँ कार्यवाहियाँ नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध थीं</p> |
|--|--|

52. Under Order III Rule 2 CPC, the 'recognised agents' of parties by whom appearances, applications and acts may be made or done include:

CPC

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश III नियम 2 के अधीन पक्षकारों के 'मान्यताप्राप्त अभिकर्ता', जिनके द्वारा उपसंजातियाँ, आवेदन और कार्य किए जा सकते हैं, में सम्मिलित हैं:

- | | |
|---|--|
| <p>(A) Only advocates enrolled under the Advocates Act, 1961
केवल अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन नामांकित अधिवक्ता</p> <p>(C) Any person whom the party nominates orally in open court
कोई भी व्यक्ति जिसे पक्षकार खुले न्यायालय में मौखिक रूप से नामित करे</p> | <p>(B) Any adult relative of the party, without any written authority
पक्षकार का कोई भी वयस्क नातेदार, बिना किसी लिखित प्राधिकार के</p> <p>(D) Persons holding powers-of-attorney authorising them to make and do such appearances, applications and acts on behalf of the parties
ऐसे मुख्तारनामाधारी व्यक्ति जो उन्हें पक्षकारों की ओर से ऐसी उपसंजातियाँ, आवेदन और कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं</p> |
|---|--|



- 53. Where a suit is to obtain relief respecting, or compensation for wrong to, immovable property situate within the local limits of the jurisdiction of different Courts, under Section 17 CPC the suit may be instituted in:**

CPC

जहाँ वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष या उसके प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर अभिप्राप्त करने के लिए है, वहाँ धारा 17 सि.प्र.सं. के अधीन वाद संस्थित किया जा सकता है:

- | | |
|---|--|
| <p>(A) any Court within whose local limits any portion of the property is situate, provided the entire claim is cognizable by that Court as to value
किसी भी ऐसे न्यायालय में जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है, परन्तु यह तब जब संपूर्ण दावा मूल्य की दृष्टि से उस न्यायालय द्वारा संज्ञेय हो</p> <p>(C) only the High Court having superintendence over all such Courts
केवल उस उच्च न्यायालय में जिसका ऐसे सभी न्यायालयों पर अधीक्षण है</p> | <p>(B) only the Court within whose local limits the largest portion of the property is situate
केवल उस न्यायालय में जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का सबसे बड़ा भाग स्थित है</p> <p>(D) only the Court within whose local limits the defendant resides
केवल उस न्यायालय में जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी निवास करता है</p> |
|---|--|

- 54. A, residing in Delhi, beats B in Kanpur. Under Section 19 CPC, B may sue A for compensation in:**

CPC

दिल्ली में निवास करने वाला A, कानपुर में B को पीटता है। धारा 19 CPC के अधीन B, A पर प्रतिकर के लिए वाद कहाँ ला सकता है?

- | | |
|--|---|
| <p>(A) Delhi only
केवल दिल्ली में</p> <p>(C) either Kanpur or Delhi
कानपुर या दिल्ली में से किसी में</p> | <p>(B) Kanpur only
केवल कानपुर में</p> <p>(D) Lucknow, where B resides
लखनऊ में, जहाँ B निवास करता है</p> |
|--|---|

- 55. A plaintiff who omits to sue in respect of a portion of his claim, without leave of the court, is barred from afterwards suing in respect of the portion so omitted by:**

CPC

जो वादी न्यायालय की इजाजत के बिना अपने दावे के किसी भाग के संबंध में वाद लाने का लोप करता है, वह पश्चात् लोप किए गए भाग के लिए वाद लाने से किसके द्वारा वर्जित है?

- | | |
|--|---|
| <p>(A) Section 11
धारा 11</p> <p>(C) Order IX Rule 9
आदेश 9 नियम 9</p> | <p>(B) Order II Rule 2
आदेश 2 नियम 2</p> <p>(D) Order XXIII Rule 1
आदेश 23 नियम 1</p> |
|--|---|

- 56. Under Order VIII Rule 1 CPC (ordinary civil suits), the written statement is to be filed within 30 days from service of summons, which the court may extend for reasons recorded, but not later than:**

CPC

आदेश 8 नियम 1 CPC (सामान्य सिविल वाद) के अधीन लिखित कथन समन की तामील से 30 दिन के भीतर फाइल किया जाना है, जिसे न्यायालय अभिलिखित कारणों से बढ़ा सकता है, किन्तु कितने दिन से अधिक नहीं?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) 60 days
60 दिन</p> <p>(C) 45 days
45 दिन</p> | <p>(B) 120 days
120 दिन</p> <p>(D) 90 days
90 दिन</p> |
|---|---|



57. Order III of the Code of Civil Procedure, 1908 deals with:

CPC

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 3 किससे संबंधित है?

- | | |
|---|--|
| (A) Recognised agents and pleaders
मान्यताप्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर | (B) Parties to suits
वादों के पक्षकार |
| (C) Frame of suit
वाद की विरचना | (D) Institution of suits
वादों का संस्थित किया जाना |

58. Under Section 80(1) CPC, a suit against the Government can ordinarily be instituted only after the expiration of how long after notice in writing has been delivered?

CPC

धारा 80(1) CPC के अधीन सरकार के विरुद्ध वाद सामान्यतः लिखित सूचना परिदत्त किए जाने के कितने समय की समाप्ति के पश्चात् ही संस्थित किया जा सकता है?

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| (A) One month
एक मास | (B) Three months
तीन मास |
| (C) Two months
दो मास | (D) Six months
छह मास |

59. Under Section 12 of the Indian Contract Act, 1872, a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind:

Contract

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 12 के अधीन वह व्यक्ति जो प्रायः विकृतचित्त रहता है किन्तु कभी-कभी स्वस्थचित्त होता है:

- | | |
|---|--|
| (A) cannot make a contract at all
कोई संविदा कर ही नहीं सकता | (B) may contract only with the consent of his guardian
केवल अपने संरक्षक की सम्मति से संविदा कर सकता है |
| (C) can make only voidable contracts
केवल शून्यकरणीय संविदाएँ कर सकता है | (D) may make a contract when he is of sound mind
जब वह स्वस्थचित्त हो तब संविदा कर सकता है |

60. 'Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense.' This definition (consensus ad idem) is in which section of the Indian Contract Act?

Contract

'दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए कहे जाते हैं जब वे एक ही बात पर एक ही भाव में करार करते हैं।' यह परिभाषा (कॉन्सेन्सस एड आइडम) भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में है?

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| (A) Section 13
धारा 13 | (B) Section 14
धारा 14 |
| (C) Section 10
धारा 10 | (D) Section 2(h)
धारा 2(ज) |



61. Which statement correctly reflects Section 15 of the Indian Contract Act (coercion) and its Explanation?

Contract

कौन-सा कथन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 (प्रपीड़न) और उसके स्पष्टीकरण को सही रूप में दर्शाता है?

- (A) Coercion can be employed only by a party to the contract against the other party
प्रपीड़न केवल संविदा के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध किया जा सकता है
- (B) Coercion may be employed by any person to the prejudice of any person whatever, and it is immaterial whether the Indian Penal Code is in force where it is employed
प्रपीड़न किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति के प्रतिकूल किया जा सकता है, और यह महत्वहीन है कि जहाँ प्रपीड़न किया गया वहाँ भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त है या नहीं
- (C) Coercion must be directed against the promisor himself
प्रपीड़न स्वयं वचनदाता के विरुद्ध ही होना चाहिए
- (D) Coercion means only a threat of physical violence
प्रपीड़न का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा की धमकी है

62. Under Section 16(3) of the Indian Contract Act, where a person in a position to dominate the will of another enters into a contract which appears on its face to be unconscionable, the burden of proving that it was not induced by undue influence lies:

Contract

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16(3) के अधीन जहाँ दूसरे की इच्छा पर प्रभुत्व रखने की स्थिति वाला व्यक्ति ऐसी संविदा करता है जो प्रथम दृष्ट्या लोकात्मा के प्रतिकूल प्रतीत होती है, वहाँ यह साबित करने का भार कि वह असम्यक् असर से उत्प्रेरित नहीं थी, किस पर है?

- (A) on the party alleging undue influence
असम्यक् असर का अभिकथन करने वाले पक्षकार पर
- (B) on the court, suo motu
न्यायालय पर, स्वप्रेरणा से
- (C) on the person in a position to dominate the will of the other
दूसरे की इच्छा पर प्रभुत्व रखने की स्थिति वाले व्यक्ति पर
- (D) equally on both parties
दोनों पक्षकारों पर समान रूप से

63. According to the Explanation to Section 17 of the Indian Contract Act, mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is:

Contract

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 के स्पष्टीकरण के अनुसार किसी व्यक्ति की संविदा करने की रजामंदी पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों के बारे में केवल मौन रहना:

- (A) not fraud, unless the circumstances are such that it is the duty of the person keeping silence to speak, or his silence is in itself equivalent to speech
कपट नहीं है, जब तक कि परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य हो, या उसका मौन स्वयं बोलने के तुल्य हो
- (B) always fraud
सदैव कपट है
- (C) always misrepresentation
सदैव दुर्यपदेशन है
- (D) coercion
प्रपीड़न है



64. Where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement, the agreement under Section 20 is:

Contract

जहाँ करार के दोनों पक्षकार करार के लिए आवश्यक किसी तथ्य-विषय के बारे में भूल में हों, वहाँ धारा 20 के अधीन करार:

- | | |
|---|---------------------------|
| (A) voidable at the option of either party
किसी भी पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है | (B) valid
विधिमान्य है |
| (C) voidable at the option of the party misled
भ्रमित पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है | (D) void
शून्य है |

65. Under Section 21 of the Indian Contract Act, a mistake as to a law not in force in India has the same effect as:

Contract

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 21 के अधीन भारत में अप्रवृत्त किसी विधि के बारे में भूल का प्रभाव किसके समान है?

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (A) a mistake as to Indian law
भारतीय विधि के बारे में भूल | (B) a mistake of fact
तथ्य की भूल |
| (C) fraud
कपट | (D) misrepresentation
दुर्व्यपदेशन |

66. Which of the following statements regarding a suit under Section 6 of the Specific Relief Act, 1963 is NOT correct?

Specific Relief

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अधीन वाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- | | |
|---|---|
| (A) It must be brought within six months from the date of dispossession
यह बेकब्जा किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर लाया जाना चाहिए | (B) No appeal lies from any order or decree passed in such a suit
ऐसे वाद में पारित किसी आदेश या डिक्री से कोई अपील नहीं होती |
| (C) Such a suit can be brought against the Government
ऐसा वाद सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है | (D) It lies where a person is dispossessed of immovable property without his consent otherwise than in due course of law
यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति के बिना विधि के सम्यक् अनुक्रम से अन्यथा स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किया गया हो |

67. Under Section 4 of the Specific Relief Act, 1963, specific relief can be granted:

Specific Relief

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुतोष प्रदान किया जा सकता है:

- | | |
|--|---|
| (A) Only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law
केवल वैयक्तिक सिविल अधिकारों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए, न कि केवल किसी दंड विधि को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए | (B) For enforcing civil rights as well as penal laws
सिविल अधिकारों और दंड विधियों दोनों को प्रवर्तित करने के लिए |
| (C) Only for the purpose of enforcing penal laws
केवल दंड विधियों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए | (D) Only in respect of contracts relating to immovable property
केवल स्थावर संपत्ति से संबंधित संविदाओं के संबंध में |



68. Substituted performance of contract, introduced by the 2018 Amendment, is provided in which section of the Specific Relief Act, 1963?

Specific Relief

2018 के संशोधन द्वारा प्रस्तुत संविदा का प्रतिस्थापित पालन विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की किस धारा में उपबंधित है?

(A) Section 10
धारा 10

(B) Section 14
धारा 14

(C) Section 16
धारा 16

(D) Section 20
धारा 20

69. Under Section 9 of the Transfer of Property Act, 1882:

TPA

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 9 के अधीन:

(A) every transfer of property must be in writing
संपत्ति का प्रत्येक अंतरण लिखित होना चाहिए

(B) a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law
संपत्ति का अंतरण हर उस दशा में बिना लिखत के किया जा सकता है जिसमें विधि द्वारा लेख स्पष्टतः अपेक्षित नहीं है

(C) oral transfer is permissible only for movable property
मौखिक अंतरण केवल जंगम संपत्ति के लिए अनुज्ञेय है

(D) only gifts may be made orally
केवल दान मौखिक रूप से किए जा सकते हैं

70. A transfers a house to B absolutely, on condition that B shall not transfer it to anyone at any time. Under Section 10 TPA:

TPA

A एक मकान B को आत्यंतिक रूप से इस शर्त पर अंतरित करता है कि B उसे कभी भी किसी को अंतरित नहीं करेगा। धारा 10 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन:

(A) the condition is void and the transfer is valid
शर्त शून्य है और अंतरण विधिमान्य है

(B) the whole transfer is void
संपूर्ण अंतरण शून्य है

(C) both the transfer and the condition are valid
अंतरण और शर्त दोनों विधिमान्य हैं

(D) the transfer is voidable at the option of A
अंतरण A के विकल्प पर शून्यकरणीय है

71. Under Section 8 TPA, unless a different intention is expressed or necessarily implied, a transfer of land includes:

TPA

धारा 8 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन, जब तक भिन्न आशय अभिव्यक्त या आवश्यक रूप से विवक्षित न हो, भूमि के अंतरण में सम्मिलित है:

(A) only the surface of the land
केवल भूमि की सतह

(B) rents which accrued before the transfer
अंतरण से पूर्व प्रोद्भूत भाटक

(C) arrears of land revenue payable by the transferor
अंतरक द्वारा देय भू-राजस्व का बकाया

(D) the easements annexed to it
उससे उपाबद्ध सुखाचार

72. Which of the following cannot be transferred under Section 6 TPA?

TPA

धारा 6 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से किसका अंतरण नहीं किया जा सकता?

(A) An actionable claim
अनुयोज्य दावा

(B) A leasehold interest
पट्टाधृत हित

(C) The chance of an heir-apparent succeeding to an estate
किसी प्रत्यक्ष वारिस का किसी संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना

(D) The right of a mortgagee
बंधकदार का अधिकार



73. Under Section 12 TPA, a condition in a transfer (other than a lease for the benefit of the lessor) that the transferee's interest shall cease on his becoming insolvent is:

TPA

धारा 12 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन किसी अंतरण में (पट्टाकर्ता के फायदे वाले पट्टे से भिन्न) यह शर्त कि अंतरिती के दिवालिया होने पर उसका हित समाप्त हो जाएगा:

- | | |
|---|--|
| (A) valid
विधिमान्य है | (B) void
शून्य है |
| (C) voidable at the transferee's option
अंतरिती के विकल्प पर शून्यकरणीय है | (D) valid only if registered
केवल रजिस्ट्रीकृत होने पर विधिमान्य है |

74. Under Section 5 of the Indian Easements Act, 1882, a right of way annexed to A's house over B's land is:

TPA

भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 की धारा 5 के अधीन B की भूमि पर A के घर से संलग्न मार्गाधिकार है:

- | | |
|--|--|
| (A) A discontinuous easement
एक असतत सुखाचार | (B) A continuous easement
एक सतत सुखाचार |
| (C) Always a non-apparent easement
सदैव एक अप्रकट सुखाचार | (D) Not an easement but a licence
सुखाचार नहीं बल्कि अनुज्ञप्ति |

75. Under Section 3 of the Limitation Act, 1963, every suit instituted after the prescribed period:

Limitation

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अधीन विहित अवधि के पश्चात् संस्थित प्रत्येक वाद:

- | | |
|--|--|
| (A) shall be dismissed only if the defendant pleads limitation
केवल तब खारिज होगा जब प्रतिवादी परिसीमा का अभिवाक् करे | (B) may be entertained if the court condones delay
न्यायालय द्वारा विलंब माफ करने पर ग्रहण किया जा सकता है |
| (C) may be saved by amending the plaint
वादपत्र में संशोधन द्वारा बचाया जा सकता है | (D) shall be dismissed although limitation has not been set up as a defence
खारिज कर दिया जाएगा, यद्यपि परिसीमा को प्रतिरक्षा के रूप में न उठाया गया हो |

76. Under Section 19 of the Limitation Act, 1963, where payment on account of a debt is made before the expiration of the prescribed period by the person liable, a fresh period of limitation is computed from the time of payment, provided that an acknowledgment of the payment appears:

Limitation

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 19 के अधीन जहाँ ऋण मद्धे संदाय विहित अवधि के अवसान से पूर्व दायी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ संदाय के समय से परिसीमा की नई अवधि संगणित की जाती है, परन्तु यह तब जब संदाय की अभिस्वीकृति:

- | | |
|--|---|
| (A) in a document registered under the Registration Act, 1908
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज में हो | (B) in a decree or order of a civil Court
किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश में हो |
| (C) in the handwriting of, or in a writing signed by, the person making the payment
संदाय करने वाले व्यक्ति के हस्तलेख में, या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लेख में हो | (D) in the books of account maintained by the creditor
लेनदार द्वारा रखी गई लेखा बहियों में हो |



77. Under Section 4 of the Limitation Act, where the prescribed period for a suit expires on a day when the court is closed, the suit may be instituted:

Limitation

परिसीमा अधिनियम की धारा 4 के अधीन जहाँ वाद के लिए विहित अवधि उस दिन समाप्त होती है जब न्यायालय बंद है, वहाँ वाद संस्थित किया जा सकता है:

- | | |
|---|---|
| (A) on the next working day of the plaintiff's advocate
वादी के अधिवक्ता के अगले कार्य दिवस पर | (B) within seven days thereafter
उसके पश्चात् सात दिन के भीतर |
| (C) not at all, as the period has lapsed
बिल्कुल नहीं, क्योंकि अवधि बीत चुकी है | (D) on the day when the court reopens
उस दिन जब न्यायालय पुनः खुलता है |

78. The period of limitation under Article 113 (residuary article) for any suit for which no period is provided elsewhere in the Schedule is:

Limitation

अनुच्छेद 113 (अवशिष्ट अनुच्छेद) के अधीन किसी ऐसे वाद के लिए जिसके लिए अनुसूची में अन्यत्र कोई अवधि उपबंधित नहीं है, परिसीमा काल है:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| (A) 12 years
12 वर्ष | (B) 1 year
1 वर्ष |
| (C) 3 years
3 वर्ष | (D) 6 years
6 वर्ष |

79. Under Rule 1 of Section 10 of the Hindu Succession Act, 1956, where a male Hindu dies intestate leaving more widows than one:

Hindu Law

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 10 के नियम 1 के अधीन जहाँ कोई हिन्दू पुरुष एक से अधिक विधवाएँ छोड़कर निर्वसीयत मरता है:

- | | |
|---|---|
| (A) Each widow takes one full share
प्रत्येक विधवा एक पूर्ण अंश लेती है | (B) All the widows together take one share
सभी विधवाएँ मिलकर एक अंश लेती हैं |
| (C) Only the senior-most widow takes one share
केवल सबसे वरिष्ठ विधवा एक अंश लेती है | (D) The widows take no share if a son survives
पुत्र के उत्तरजीवी होने पर विधवाएँ कोई अंश नहीं लेतीं |

80. Under Section 7(2) of the Hindu Marriage Act, where the rites and ceremonies include the saptapadi, the marriage becomes complete and binding when:

Hindu Law

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन जहाँ संस्कारों और कर्मकांडों में सप्तपदी सम्मिलित है, वहाँ विवाह कब पूर्ण और आबद्धक होता है?

- | | |
|---|--|
| (A) the seventh step is taken
जब सातवाँ पद लिया जाता है | (B) the first step is taken
जब पहला पद लिया जाता है |
| (C) the marriage is registered
जब विवाह रजिस्ट्रीकृत होता है | (D) kanyadaan is performed
जब कन्यादान किया जाता है |



81. In Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017), the Supreme Court held that the six-month period under Section 13B(2) of the Hindu Marriage Act is:

Hindu Law

अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13B(2) के अधीन छह मास की अवधि:

- | | |
|--|---|
| (A) mandatory and cannot be waived
आज्ञापक है और अधित्यक्त नहीं की जा सकती | (B) unconstitutional
असंवैधानिक है |
| (C) applicable only to marriages solemnised abroad
केवल विदेश में अनुष्ठापित विवाहों पर लागू है | (D) directory and may be waived by the court in appropriate cases
निदेशात्मक है और उचित मामलों में न्यायालय द्वारा अधित्यक्त की जा सकती है |

82. Under Section 3(1)(a) of the Hindu Succession Act, 1956, one person is said to be an 'agnate' of another if the two are related:

Hindu Law

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(a) के अधीन एक व्यक्ति दूसरे का 'गोत्रज' कहा जाता है यदि वे दोनों संबंधित हैं:

- | | |
|--|--|
| (A) By blood or adoption, but not wholly through males
रक्त या दत्तक द्वारा, किन्तु पूर्णतः पुरुषों के माध्यम से नहीं | (B) Only by marriage
केवल विवाह द्वारा |
| (C) By blood or adoption wholly through males
रक्त या दत्तक द्वारा पूर्णतः पुरुषों के माध्यम से | (D) By blood through females only
केवल स्त्रियों के माध्यम से रक्त द्वारा |

83. Contravention of which of the following conditions renders a Hindu marriage void under Section 11 of the Hindu Marriage Act?

Hindu Law

निम्नलिखित में से किस शर्त का उल्लंघन हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अधीन हिन्दू विवाह को शून्य बना देता है?

- | | |
|--|---|
| (A) The condition as to age in Section 5(iii)
धारा 5(iii) में आयु संबंधी शर्त | (B) The parties being sapindas of each other (Section 5(v)), unless custom permits
पक्षकारों का एक-दूसरे का सपिंड होना (धारा 5(v)), जब तक रूढ़ि अनुज्ञात न करे |
| (C) Unsoundness of mind under Section 5(ii)
धारा 5(ii) के अधीन चित्तविकृति | (D) Consent obtained by fraud
कपट द्वारा प्राप्त सम्मति |

84. Under Muslim law, a divorce at the instance of the wife, in which she gives or agrees to give a consideration to the husband for her release from the marriage tie, is known as:

Muslim Law

मुस्लिम विधि के अधीन पत्नी की पहल पर होने वाला ऐसा विवाह-विच्छेद, जिसमें वह विवाह-बंधन से मुक्ति के लिए पति को प्रतिफल देती है या देने का करार करती है, क्या कहलाता है?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (A) Khula
खुला | (B) Mubarat
मुबारत |
| (C) Ila
ईला | (D) Zihar
ज़िहार |



- 85. Under Muslim law, a marriage of a Muslim man with a woman within the prohibited degrees of consanguinity (for example, his sister's daughter) is:**

Muslim Law

मुस्लिम विधि के अधीन किसी मुस्लिम पुरुष का रक्त-संबंध की प्रतिषिद्ध डिग्रियों के भीतर की किसी स्त्री (उदाहरणार्थ, उसकी बहन की पुत्री) से विवाह है:

- | | |
|---|--|
| (A) Valid (sahih)
विधिमान्य (सहीह) | (B) Irregular (fasid)
अनियमित (फासिद) |
| (C) Voidable at the option of the wife
पत्नी के विकल्प पर शून्यकरणीय | (D) Void (batil)
शून्य (बातिल) |

- 86. Under Section 2 of the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939, a wife may obtain a decree of dissolution if the husband has neglected or failed to provide for her maintenance for a period of:**

Muslim Law

मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 के अधीन पत्नी विवाह-विघटन की डिक्ली प्राप्त कर सकती है यदि पति ने कितनी अवधि तक उसके भरण-पोषण की उपेक्षा की हो या उसमें असफल रहा हो?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) three years
तीन वर्ष | (B) four years
चार वर्ष |
| (C) two years
दो वर्ष | (D) seven years
सात वर्ष |

- 87. Under the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, a Muslim husband who pronounces talaq-e-biddat on his wife is punishable with imprisonment for a term which may extend to:**

Muslim Law

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधीन अपनी पत्नी पर तलाक-ए-बिद्दत उच्चारित करने वाला मुस्लिम पति कितनी अवधि तक के कारावास से दंडनीय है?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) one year
एक वर्ष | (B) three years
तीन वर्ष |
| (C) seven years
सात वर्ष | (D) five years
पाँच वर्ष |

- 88. A doctor is not guilty of negligence if he has acted in accordance with a practice accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art. This test, approved by the Supreme Court in Jacob Mathew v. State of Punjab (2005), was laid down in:**

Torts

चिकित्सक उपेक्षा का दोषी नहीं है यदि उसने उस विशिष्ट कला में कुशल चिकित्सकों के किसी उत्तरदायी निकाय द्वारा उचित स्वीकार की गई पद्धति के अनुसार कार्य किया है। जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित यह परीक्षण किस मामले में प्रतिपादित किया गया था?

- | | |
|---|--|
| (A) Donoghue v. Stevenson (1932)
डोनोग्यू बनाम स्टीवेन्सन (1932) | (B) Nettleship v. Weston (1971)
नेटलशिप बनाम वेस्टन (1971) |
| (C) Blyth v. Birmingham Waterworks Co. (1856)
ब्लिथ बनाम बर्मिंघम वॉटरवर्क्स कं (1856) | (D) Bolam v. Friern Hospital Management Committee (1957)
बोलम बनाम फ्रिअर्न हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी (1957) |



89. Ashby v. White is a leading authority for the maxim:

Torts

एशबी बनाम व्हाइट किस सूत्र का प्रमुख प्राधिकार है?

- | | |
|--|---|
| (A) Injuria sine damno
इंजुरिया साइन डैमनो (क्षति के बिना विधिक हानि) | (B) Damnum sine injuria
डैमनम साइन इंजुरिया (विधिक हानि के बिना क्षति) |
| (C) Volenti non fit injuria
वोलेन्टी नॉन फिट इंजुरिया | (D) Res ipsa loquitur
रेस इप्सा लोक्विटर |

90. The concept of 'Grundnorm' in the Pure Theory of Law is associated with:

Jurisprudence

विधि के शुद्ध सिद्धांत में 'ग्रुंडनॉर्म' (मूल मानदंड) की अवधारणा किससे संबद्ध है?

- | | |
|--------------------------------|---|
| (A) John Austin
जॉन ऑस्टिन | (B) Friedrich Carl von Savigny
फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविनी |
| (C) Hans Kelsen
हांस केल्सन | (D) Jeremy Bentham
जेरेमी बेंथम |

91. The 'subjective theory' of negligence, which regards negligence as a state of mind of the wrongdoer, namely culpable carelessness or indifference towards the consequences of his act, is chiefly associated with:

Jurisprudence

उपेक्षा का 'व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत', जो उपेक्षा को दोषकर्ता की मनःस्थिति, अर्थात् अपने कार्य के परिणामों के प्रति दोषपूर्ण असावधानी या उदासीनता, मानता है, मुख्यतः किससे संबद्ध है?

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (A) Sir Frederick Pollock
सर फ्रेडरिक पोलक | (B) Sir John Salmond
सर जॉन सामंड |
| (C) Hans Kelsen
हान्स केल्सन | (D) Roscoe Pound
रोस्को पाउण्ड |

92. The three-stage test for the existence of a duty of care in negligence, namely foreseeability of damage, proximity of relationship, and that it is fair, just and reasonable to impose a duty, was formulated by the House of Lords in:

Interpretation

उपेक्षा में सावधानी के कर्तव्य के अस्तित्व का त्रि-स्तरीय परीक्षण, अर्थात् क्षति की पूर्वानुमेयता, संबंध की निकटता और कर्तव्य अधिरोपित करना ऋजु, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किस मामले में प्रतिपादित किया गया?

- | | |
|---|---|
| (A) Anns v. Merton London Borough Council (1978)
एन्स बनाम मर्टन लंदन बरो काउंसिल (1978) | (B) Hedley Byrne & Co. v. Heller & Partners (1964)
हेडली बर्न एंड कंपनी बनाम हेलर एंड पार्टनर्स (1964) |
| (C) Donoghue v. Stevenson (1932)
डोनोग्यू बनाम स्टीवेन्सन (1932) | (D) Caparo Industries plc v. Dickman (1990)
कैपेरो इंडस्ट्रीज पीएलसी बनाम डिकमैन (1990) |

93. The doctrine of 'basic structure' of the Constitution, limiting Parliament's amending power under Article 368, was propounded in:

Landmark Judgments

अनुच्छेद 368 के अधीन संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करने वाला संविधान के 'मूल ढाँचे' का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया?

- | | |
|--|--|
| (A) Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) | (B) I.C. Golaknath v. State of Punjab (1967)
आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) |
| (C) Shankari Prasad v. Union of India (1951)
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) | (D) Minerva Mills v. Union of India (1980)
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) |



- 94. In which case did a Constitution Bench hold that registration of an FIR is mandatory if the information discloses the commission of a cognizable offence, and no preliminary inquiry is permissible in such a situation?**

Landmark Judgments

किस मामले में संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यदि इतिला से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो FIR का रजिस्ट्रीकरण आज्ञापक है और ऐसी स्थिति में प्रारंभिक जाँच अनुज्ञेय नहीं है?

- | | |
|---|---|
| (A) D.K. Basu v. State of West Bengal
डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य | (B) Lalita Kumari v. Government of U.P. (2013)
ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) |
| (C) Arnesht Kumar v. State of Bihar
अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य | (D) Joginder Kumar v. State of U.P.
जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य |

- 95. In which case did the Supreme Court direct that police should not automatically arrest in cases under Section 498A IPC and must satisfy themselves about the necessity of arrest under the parameters of Section 41 CrPC?**

Landmark Judgments

किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया कि IPC धारा 498A के मामलों में पुलिस स्वतः गिरफ्तारी न करे और CrPC धारा 41 के मानदंडों के अधीन गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में स्वयं का समाधान करे?

- | | |
|--|--|
| (A) Lalita Kumari v. Government of U.P.
ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार | (B) Joginder Kumar v. State of U.P.
जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य |
| (C) Arnesht Kumar v. State of Bihar (2014)
अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) | (D) Sushil Kumar Sharma v. Union of India
सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ |

- 96. Arrange the following decisions in chronological order: 1. Maneka Gandhi v. Union of India 2. Kesavananda Bharati v. State of Kerala 3. K.S. Puttaswamy v. Union of India (privacy) 4. Vishaka v. State of Rajasthan**

Landmark Judgments

निम्नलिखित निर्णयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए: 1. मेनका गांधी बनाम भारत संघ 2. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 3. केएस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (निजता) 4. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (A) 1, 2, 4, 3
1, 2, 4, 3 | (B) 2, 4, 1, 3
2, 4, 1, 3 |
| (C) 4, 2, 1, 3
4, 2, 1, 3 | (D) 2, 1, 4, 3
2, 1, 4, 3 |

- 97. In Bhasheshwar Nath v. Commissioner of Income-tax (1959), a Constitution Bench of the Supreme Court held that:**

Landmark Judgments

बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त (1959) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि:

- | | |
|--|--|
| (A) A citizen cannot waive a fundamental right guaranteed by the Constitution
नागरिक संविधान द्वारा प्रत्याभूत किसी मूल अधिकार का अधित्यजन नहीं कर सकता | (B) An assessee may waive his rights under Article 14 by entering into a settlement
निर्धारिता समझौता करके अनुच्छेद 14 के अधीन अपने अधिकारों का अधित्यजन कर सकता है |
| (C) Directive Principles of State Policy override fundamental rights
राज्य की नीति के निदेशक तत्व मूल अधिकारों पर अभिभावी हैं | (D) Income-tax settlement proceedings are outside judicial review
आयकर समझौता कार्यवाहियाँ न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर हैं |



98. In Shreya Singhal v. Union of India (2015), the Supreme Court struck down which provision of the Information Technology Act, 2000?

Landmark Judgments

श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ (2015) में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के किस उपबंध को असंवैधानिक ठहराया?

(A) Section 69A

धारा 69क

(B) Section 66A

धारा 66क

(C) Section 79

धारा 79

(D) Section 67

धारा 67

99. The 'rarest of rare cases' doctrine for awarding the death sentence was propounded while upholding the constitutionality of the death penalty in:

Landmark Judgments

मृत्यु दंड के लिए 'विरल से विरलतम मामले' का सिद्धांत मृत्यु दंड की संवैधानिकता बनाए रखते हुए किस मामले में प्रतिपादित किया गया?

(A) Machhi Singh v. State of Punjab (1983)

मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983)

(B) Jagmohan Singh v. State of U.P. (1973)

जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973)

(C) Bachan Singh v. State of Punjab (1980)

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980)

(D) Mithu v. State of Punjab (1983)

मिट्टू बनाम पंजाब राज्य (1983)

100. In which case did the Supreme Court hold that involuntary administration of narco-analysis, polygraph and brain electrical activation profile (BEAP) tests violates Article 20(3) and Article 21?

Landmark Judgments

किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल (BEAP) परीक्षण का अनैच्छिक प्रयोग अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है?

(A) Nandini Satpathy v. P.L. Dani

नंदिनी सतपथी बनाम पी.एल. दानी

(B) State of Bombay v. Kathi Kalu Oghad

बंबई राज्य बनाम काठी कालू ओघड़

(C) D.K. Basu v. State of West Bengal

डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(D) Selvi v. State of Karnataka (2010)

सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010)

NYAYA PATHSHALA



Answer key · उत्तर कुंजी

1 B	2 C	3 A	4 D	5 B	6 C	7 A	8 D	9 C	10 B
11 A	12 B	13 D	14 A	15 C	16 B	17 A	18 D	19 C	20 B
21 A	22 D	23 C	24 B	25 A	26 C	27 D	28 B	29 A	30 C
31 D	32 B	33 A	34 C	35 D	36 B	37 A	38 C	39 B	40 D
41 A	42 C	43 B	44 D	45 A	46 C	47 B	48 D	49 A	50 C
51 B	52 D	53 A	54 C	55 B	56 D	57 A	58 C	59 D	60 A
61 B	62 C	63 A	64 D	65 B	66 C	67 A	68 D	69 B	70 A
71 D	72 C	73 B	74 A	75 D	76 C	77 D	78 C	79 B	80 A
81 D	82 C	83 B	84 A	85 D	86 C	87 B	88 D	89 A	90 C
91 B	92 D	93 A	94 B	95 C	96 D	97 A	98 B	99 C	100 D

Explanations · व्याख्या

1. (B) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself — Article 20(3) embodies the protection against self-incrimination. Double jeopardy is in Article 20(2), ex post facto laws in Article 20(1) and grounds of arrest in Article 22(1).

(B) किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा — अनुच्छेद 20(3) आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण देता है। दोहरा दंड अनुच्छेद 20(2), कार्योत्तर विधि अनुच्छेद 20(1) तथा गिरफ्तारी के आधार अनुच्छेद 22(1) में हैं।

2. (C) 86th Amendment, 2002 — The Constitution (86th Amendment) Act, 2002 inserted Article 21A, making free and compulsory education for children of 6 to 14 years a fundamental right.

(C) 86वाँ संशोधन, 2002 — संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21क अंतःस्थापित कर 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया।

3. (A) 24 hours, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court — Article 22(2) requires production before the nearest Magistrate within 24 hours of arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the Magistrate.

(A) 24 घंटे, गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर — अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के समय को छोड़कर, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है।

4. (D) is for the time being an enemy alien — Article 22(3) excludes from clauses (1) and (2) any person who for the time being is an enemy alien, or who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.

(D) जो तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है — अनुच्छेद 22(3) के अनुसार खंड (1) और (2) उस व्यक्ति पर लागू नहीं होते जो तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है या निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध है।

5. (B) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour — Article 23(1) prohibits traffic in human beings, begar and other similar forms of forced labour. Untouchability is abolished by Article 17, child labour is dealt with in Article 24 and titles in Article 18.

(B) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम — अनुच्छेद 23(1) मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा अन्य बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17, बाल श्रम अनुच्छेद 24 और उपाधियाँ अनुच्छेद 18 में हैं।



6. (C) 14 — Article 24 prohibits employment of children below 14 years of age in factories, mines or other hazardous employment.

(C) 14 — अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खानों या अन्य परिसंकटमय नियोजन में लगाए जाने का प्रतिषेध करता है।

7. (A) Wearing and carrying of kirpans — Explanation I to Article 25 states that the wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.

(A) कृपाण धारण करना और लेकर चलना — अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 कहता है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा।

8. (D) Article 30(1) — Article 30(1) gives all minorities, religious or linguistic, the right to establish and administer educational institutions of their choice. Article 29(1) protects the distinct language, script or culture of any section of citizens.

(D) अनुच्छेद 30(1) — अनुच्छेद 30(1) सभी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के किसी अनुभाग की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करता है।

9. (C) Article 32 — In the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar described Article 32 (right to constitutional remedies before the Supreme Court) as the very soul and heart of the Constitution.

(C) अनुच्छेद 32 — संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था।

10. (B) 42nd Amendment, 1976 — Article 39A was added to Part IV by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976.

(B) 42वाँ संशोधन, 1976 — अनुच्छेद 39क को संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा भाग 4 में जोड़ा गया।

11. (A) a-4, b-2, c-1, d-3 — Article 39A: equal justice and free legal aid; Article 40: village panchayats; Article 44: uniform civil code; Article 45 (as substituted by the 86th Amendment): early childhood care and education for children below six.

(A) a-4, b-2, c-1, d-3 — अनुच्छेद 39क: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता; अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतें; अनुच्छेद 44: समान सिविल संहिता; अनुच्छेद 45 (86वें संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित): छह वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक देखरेख और शिक्षा।

12. (B) Parliament, by law — Article 33 empowers Parliament, by law, to restrict or abrogate fundamental rights in their application to the Armed Forces, forces charged with maintenance of public order and similar bodies.

(B) संसद, विधि द्वारा — अनुच्छेद 33 संसद को विधि द्वारा सशस्त्र बलों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों आदि के सदस्यों पर मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने की शक्ति देता है।

13. (D) 7 years of age — Section 20 BNS (old Section 82 IPC) gives absolute immunity to a child under seven years of age.

(D) 7 वर्ष — धारा 20 BNS (पुरानी IPC धारा 82) सात वर्ष से कम आयु के शिशु को पूर्ण उन्मुक्ति देती है।

14. (A) above 7 and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding — Section 21 BNS protects a child above seven and under twelve who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion.

(A) 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु का शिशु जिसने पर्याप्त परिपक्व समझ प्राप्त नहीं की है — धारा 21 BNS सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के उस शिशु को संरक्षण देती है जिसने उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम समझने की पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की है।

15. (C) Section 84 — Section 22 BNS reproduces Section 84 IPC: nothing is an offence done by a person who, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act or that it is wrong or contrary to law.

(C) धारा 84 — धारा 22 BNS, IPC की धारा 84 के समान है: वह बात अपराध नहीं है जो ऐसा व्यक्ति करे जो चित्तविकृति के कारण कार्य की प्रकृति या उसके दोषपूर्ण या विधि-विरुद्ध होने को जानने में असमर्थ है।



16. (B) the thing which intoxicated him was administered without his knowledge or against his will — Section 23 BNS (old Section 85 IPC) protects only involuntary intoxication, where the intoxicant was administered without the person's knowledge or against his will. For voluntary intoxication, Section 24 attributes the same knowledge as if he were not intoxicated.

(B) जब मत्त करने वाली वस्तु उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो — धारा 23 BNS (पुरानी IPC धारा 85) केवल अनैच्छिक मत्तता को संरक्षण देती है, जहाँ मादक वस्तु व्यक्ति के ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। स्वेच्छिक मत्तता में धारा 24 उसे वही ज्ञान आरोपित करती है मानो वह मत्त न हो।

17. (A) Section 34 — Section 34 BNS corresponds to old Section 96 IPC and opens the chapter on the right of private defence. Section 100 BNS defines culpable homicide.

(A) धारा 34 — धारा 34 BNS पुरानी IPC धारा 96 के तत्स्थानी है और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपबंध आरंभ करती है। धारा 100 BNS आपराधिक मानव वध की परिभाषा है।

18. (D) an attempt to commit simple theft of a mobile phone from the person's bag — Section 38 BNS lists assaults causing apprehension of death or grievous hurt, intention to commit rape, unnatural lust, kidnapping or abducting, wrongful confinement in certain circumstances and acid attack. Simple theft is not a ground for causing death in defence of the body.

(D) व्यक्ति के बैग से मोबाइल फोन की साधारण चोरी का प्रयत्न — धारा 38 BNS में मृत्यु या घोर उपहति की आशंका, बलात्संग, प्रकृति-विरुद्ध काम-वासना, व्यपहरण या अपहरण, कुछ परिस्थितियों में सदोष परिरोध तथा अम्ल हमले की दशाएँ हैं। साधारण चोरी शरीर की प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का आधार नहीं है।

19. (C) House-breaking after sunset and before sunrise — Section 41 BNS extends the right to causing death in cases of robbery, house-breaking after sunset and before sunrise, mischief by fire or explosive on a dwelling etc., and theft, mischief or house-trespass causing reasonable apprehension of death or grievous hurt.

(C) सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह-भेदन — धारा 41 BNS लूट, सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह-भेदन, निवास-गृह आदि पर अग्नि या विस्फोटक से रिष्टि, तथा मृत्यु या घोर उपहति की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करने वाली चोरी, रिष्टि या गृह-अतिचार में मृत्यु कारित करने तक अधिकार देती है।

20. (B) 12 years — Section 28 BNS provides that consent is not such consent as is intended by any section if given under fear of injury or misconception of fact, by a person of unsound mind or intoxicated, or by a person under twelve years of age.

(B) 12 वर्ष — धारा 28 BNS के अनुसार क्षति के भय या तथ्य के भ्रम के अधीन, विकृतचित्त या मत्त व्यक्ति द्वारा, अथवा बारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मति वैध सम्मति नहीं है।

21. (A) Snatching — Section 304 BNS creates the new offence of snatching. Extortion, dacoity and criminal breach of trust already existed in the IPC (Sections 383, 391 and 405).

(A) झपटमारी (स्नैचिंग) — धारा 304 BNS झपटमारी का नया अपराध सृजित करती है। उद्घापन, डकैती और आपराधिक न्यासभंग IPC में पहले से थे (धाराएँ 383, 391 और 405)।

22. (D) Section 152 — Section 152 BNS penalises acts endangering sovereignty, unity and integrity of India; the offence of sedition (Section 124A IPC) has not been retained under that name. Section 147 deals with waging war and Section 113 with terrorist acts.

(D) धारा 152 — धारा 152 BNS भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कार्यों को दंडित करती है; राजद्रोह (IPC धारा 124क) उस नाम से नहीं रखा गया। धारा 147 युद्ध छेड़ने तथा धारा 113 आतंकवादी कार्य से संबंधित है।

23. (C) a-2, b-4, c-3, d-1 — Section 63 BNS defines rape (old 375), Section 80 dowry death (old 304B), Section 85 cruelty by husband or relatives (old 498A) and Section 106 causing death by negligence (old 304A).

(C) a-2, b-4, c-3, d-1 — धारा 63 BNS बलात्संग (पुरानी 375), धारा 80 दहेज मृत्यु (पुरानी 304ब), धारा 85 पति या नातेदारों द्वारा क्रूरता (पुरानी 498क) तथा धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु (पुरानी 304क) से संबंधित है।



24. (B) Community service — Section 4(f) BNS adds community service as a punishment; death, life imprisonment, rigorous and simple imprisonment, forfeiture of property and fine were already in Section 53 IPC.

(B) सामुदायिक सेवा — धारा 4(च) BNS सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में जोड़ती है; मृत्यु, आजीवन कारावास, कठोर एवं सादा कारावास, संपत्ति का समपहरण और जुर्माना IPC की धारा 53 में पहले से थे।

25. (A) Section 35 — Section 35 BNSS corresponds to Section 41 CrPC (when police may arrest without warrant), and Section 35(3) carries the notice of appearance formerly in Section 41A.

(A) धारा 35 — धारा 35 BNSS, CrPC की धारा 41 (पुलिस कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी) के तत्स्थानी है और धारा 35(3) में पूर्व धारा 41क वाली उपसंज्ञा की सूचना है।

26. (C) Assistant Sub-Inspector of Police — Section 37 BNSS (corresponding to Section 41C CrPC) requires a police control room in every district and at State level, and the designation in every district and police station of an officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector to maintain and display information about arrested persons.

(C) पुलिस सहायक उप-निरीक्षक — धारा 37 BNSS (CrPC की धारा 41C के तत्स्थानी) प्रत्येक जिले और राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना तथा प्रत्येक जिले और पुलिस थाने में सहायक उप-निरीक्षक से अनिवार्य पद के अधिकारी को पदामिहित करने की अपेक्षा करती है, जो गिरफ्तार व्यक्तियों की जानकारी रखेगा और प्रदर्शित करेगा।

27. (D) a non-bailable and cognizable offence — Section 40 BNSS allows a private person to arrest one who in his presence commits a non-bailable and cognizable offence, or any proclaimed offender, and requires him to hand over the arrested person to police without unnecessary delay and within six hours.

(D) अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है — धारा 40 BNSS प्राइवेट व्यक्ति को उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करने वाले या उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने की अनुमति देती है, और उसे बिना अनावश्यक विलंब के तथा छह घंटे के भीतर पुलिस को सौंपना होता है।

28. (B) Section 43 — Section 43(3) BNSS, in the provision on how arrest is made (old Section 46 CrPC), permits use of handcuffs, keeping in view the nature and gravity of the offence, for habitual or repeat offenders, escapees, and accused of organised crime, terrorist acts and similar grave offences.

(B) धारा 43 — धारा 43(3) BNSS, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी (पुरानी CrPC धारा 46) वाले उपबंध में, अपराध की प्रकृति और गंभीरता देखते हुए आदतन अपराधी, अभिरक्षा से भागे व्यक्ति, संगठित अपराध, आतंकवादी कार्य आदि के अभियुक्त के लिए हथकड़ी की अनुमति देती है।

29. (A) the Judicial Magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made — Section 43(5) BNSS (old Section 46(4) CrPC) bars arrest of a woman between sunset and sunrise save in exceptional circumstances, by a woman police officer with prior permission of the Judicial Magistrate of the first class having jurisdiction.

(A) उस प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है — धारा 43(5) BNSS (पुरानी CrPC धारा 46(4)) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच महिला की गिरफ्तारी वर्जित करती है, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के जिनमें महिला पुलिस अधिकारी अधिकारिता वाले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से गिरफ्तार कर सकती है।

30. (C) Section 47 — Section 47 BNSS corresponds to Section 50 CrPC (grounds of arrest and right to bail). Section 48 BNSS (old 50A) deals with informing a relative or friend of the arrest.

(C) धारा 47 — धारा 47 BNSS, CrPC धारा 50 (गिरफ्तारी के आधार और जमानत का अधिकार) के तत्स्थानी है। धारा 48 BNSS (पुरानी 50क) गिरफ्तारी की सूचना नातेदार या मित्र को देने से संबंधित है।

31. (D) 24 hours, exclusive of the time necessary for the journey — Section 58 BNSS limits police detention without a Magistrate's order to 24 hours, exclusive of journey time from the place of arrest to the Magistrate's court, implementing Article 22(2).

(D) 24 घंटे, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर — धारा 58 BNSS मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस निरोध को 24 घंटे तक सीमित करती है, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा का समय शामिल नहीं है; यह अनुच्छेद 22(2) को लागू करती है।



32. (B) irrespective of the area where the offence is committed, orally or by electronic communication — Section 173(1) BNSS (old Section 154 CrPC) statutorily recognises 'zero FIR' (irrespective of the area where the offence is committed) and e-FIR by electronic communication, to be signed within three days.

(B) अपराध के क्षेत्र का विचार किए बिना, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा — धारा 173(1) BNSS (पुरानी CrPC धारा 154) 'शून्य FIR' (अपराध के क्षेत्र का विचार किए बिना) तथा इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा e-FIR को वैधानिक मान्यता देती है, जिस पर तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर कराना होता है।

33. (A) During interrogation, though not throughout interrogation — Section 38 BNSS (old Section 41D CrPC) entitles an arrested person who is interrogated by the police to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation.

(A) पूछताछ के दौरान, यद्यपि संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं — धारा 38 BNSS (पुरानी CrPC धारा 41D) पुलिस द्वारा पूछताछ किए जा रहे गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान, यद्यपि संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हक देती है।

34. (C) The Central Government — Section 42 BNSS (old Section 45 CrPC) protects members of the Armed Forces of the Union from arrest for acts done in the discharge of official duties except after obtaining the consent of the Central Government.

(C) केन्द्रीय सरकार — धारा 42 BNSS (पुरानी CrPC धारा 45) संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार की समिति के बिना गिरफ्तारी से संरक्षण देती है।

35. (D) Section 528 — Section 528 BNSS saves the inherent powers of the High Court. Section 482 BNSS now deals with anticipatory bail (old Section 438 CrPC) and Section 483 with special powers of the High Court or Court of Session regarding bail.

(D) धारा 528 — धारा 528 BNSS उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति करती है। धारा 482 BNSS अब अग्रिम जमानत (पुरानी CrPC धारा 438) तथा धारा 483 जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियों से संबंधित है।

36. (B) 50,000 rupees — Section 23(2) BNSS raises the fine limit of a Magistrate of the first class from 10,000 rupees (old Section 29 CrPC) to 50,000 rupees, besides imprisonment up to three years or community service.

(B) 50,000 रुपये — धारा 23(2) BNSS ने प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की जुर्माने की सीमा 10,000 रुपये (पुरानी CrPC धारा 29) से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है, साथ ही तीन वर्ष तक कारावास या सामुदायिक सेवा।

37. (A) Res gestae — Section 4 of the Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023 (old Section 6 of the Evidence Act) embodies res gestae: facts forming part of the same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and place or at different times and places.

(A) रेस जेस्टे (एक ही संव्यवहार) — भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 4 (पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा 6) रेस जेस्टे का सिद्धांत है: एक ही संव्यवहार के भाग तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे एक ही समय और स्थान पर हुए हों या भिन्न समय और स्थानों पर।

38. (C) relevant against A, B and C for proving the existence of the conspiracy and that each was a party to it — Under Section 8 BSA (old Section 10 Evidence Act), once there is reasonable ground to believe a conspiracy exists, anything said, done or written by any conspirator in reference to the common intention after it was formed is relevant against each conspirator.

(C) षड्यंत्र के अस्तित्व और प्रत्येक के उसमें पक्षकार होने को साबित करने के लिए A, B और C के विरुद्ध सुसंगत है — धारा 8 BSA (पुरानी साक्ष्य अधिनियम धारा 10) के अनुसार षड्यंत्र के अस्तित्व का युक्तियुक्त आधार होने पर, सामान्य आशय के प्रति निर्देश से किसी षड्यंत्रकारी द्वारा कही, की या लिखी गई बात प्रत्येक षड्यंत्रकारी के विरुद्ध सुसंगत है।

39. (B) Preparation — This is an illustration under the provision on motive, preparation and conduct (old Section 8 Evidence Act, now Section 6 BSA): procuring the poison beforehand is preparation for the act.

(B) तैयारी — यह हेतु, तैयारी और आचरण संबंधी उपबंध (पुरानी साक्ष्य अधिनियम धारा 8, अब धारा 6 BSA) का दृष्टांत है: पहले से विष प्राप्त करना कार्य की तैयारी है।



40. (D) inconsistent with any fact in issue or relevant fact — Facts not otherwise relevant become relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact (old Section 11 Evidence Act, now Section 9 BSA). Proof that the accused was elsewhere at the time is inconsistent with his presence at the crime.

(D) जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं — जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं हैं वे सुसंगत हो जाते हैं यदि वे किसी विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हों (पुरानी साक्ष्य अधिनियम धारा 11, अब धारा 9 BSA)। अभियुक्त का उस समय अन्यत्र होना अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति से असंगत है।

41. (A) his knowledge, i.e. existence of a state of mind — Facts showing the existence of a state of mind such as intention or knowledge are relevant (old Section 14 Evidence Act, now Section 12 BSA); this is a standard illustration of that provision.

(A) उसका ज्ञान, अर्थात् मन की दशा का अस्तित्व — आशय या ज्ञान जैसी मन की दशा का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत हैं (पुरानी साक्ष्य अधिनियम धारा 14, अब धारा 12 BSA); यह उसी उपबंध का मानक दृष्टांत है।

42. (C) oral or documentary or contained in electronic form — The BSA definition of admission (corresponding to old Section 17) expressly covers statements oral, documentary or contained in electronic form which suggest an inference as to a fact in issue or relevant fact.

(C) मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट — BSA में स्वीकृति की परिभाषा (पुरानी धारा 17 के तत्स्थानी) में स्पष्टतः मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट वे कथन शामिल हैं जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान सुझाते हैं।

43. (B) the proviso to Section 23 — Section 23 BSA merges old Sections 25 and 26 (confession to police and in police custody), and its proviso reproduces old Section 27 on discovery of facts.

(B) धारा 23 का परंतुक — धारा 23 BSA में पुरानी धाराएँ 25 और 26 (पुलिस को और पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति) समाहित हैं, और उसका परंतुक तथ्य के पता चलने संबंधी पुरानी धारा 27 को दोहराता है।

44. (D) Section 24 — Section 24 BSA corresponds to old Section 30. Section 22 BSA deals with confessions caused by inducement, threat, coercion or promise (old Section 24) and Section 26 with statements of persons who cannot be called as witnesses.

(D) धारा 24 — धारा 24 BSA पुरानी धारा 30 के तत्स्थानी है। धारा 22 BSA उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन से कराई गई संस्वीकृति (पुरानी धारा 24) तथा धारा 26 उन व्यक्तियों के कथनों से संबंधित है जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता।

45. (A) Section 26 — Section 26 BSA reproduces old Section 32, clause (a) of which covers statements as to the cause of death (dying declaration). Section 39 BSA deals with opinions of experts (old Section 45).

(A) धारा 26 — धारा 26 BSA पुरानी धारा 32 को दोहराती है, जिसका खंड (क) मृत्यु के कारण संबंधी कथन (मृत्युकालिक कथन) से संबंधित है। धारा 39 BSA विशेषज्ञों की राय (पुरानी धारा 45) से संबंधित है।

46. (C) Relevant, as tending to show that the fires were not accidental — Section 13 BSA (old Section 15 IEA) makes relevant the fact that an act formed part of a series of similar occurrences where the question is whether the act was accidental or intentional; its illustration of successive insured houses catching fire shows that the fires were not accidental.

(C) सुसंगत हैं, क्योंकि वे यह दर्शाने की प्रवृत्ति रखते हैं कि आग आकस्मिक नहीं थी — धारा 13 BSA (पुरानी IEA धारा 15) के अधीन जहाँ प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक था या साशय, वहाँ यह तथ्य सुसंगत है कि वह समरूप घटनाओं की श्रृंखला का भाग था; क्रमिक बीमाकृत घरों में आग लगने का दृष्टांत दर्शाता है कि आग आकस्मिक नहीं थी।

47. (B) A servant is not a member of the family for this purpose — Order V Rule 15 CPC permits service on any adult member of the defendant's family, whether male or female, who is residing with him; the Explanation clarifies that a servant is not a member of the family within the meaning of the Rule.

(B) इस प्रयोजन के लिए सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है — आदेश V नियम 15 CPC प्रतिवादी के साथ रहने वाले उसके कुटुम्ब के किसी भी वयस्क सदस्य, चाहे पुरुष हो या स्त्री, पर तामील की अनुमति देता है; स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि सेवक इस नियम के अर्थ में कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।



48. (D) Has been decided prior to the suit in question, whether or not it was instituted prior thereto — Explanation I to Section 11 CPC provides that 'former suit' denotes a suit which has been decided prior to the suit in question, whether or not it was instituted prior thereto; the order of decision, not of institution, is decisive.

(D) प्रश्नगत वाद से पूर्व विनिश्चित किया जा चुका है, चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं — धारा 11 CPC का स्पष्टीकरण I उपबंधित करता है कि 'पूर्ववर्ती वाद' से वह वाद अभिप्रेत है जो प्रश्नगत वाद से पूर्व विनिश्चित हो चुका है, चाहे वह उससे पूर्व संस्थित हुआ हो या नहीं; निर्णायक क्रम विनिश्चय का है, संस्थित किए जाने का नहीं।

49. (A) Presenting a plaint in duplicate to the Court or such officer as it appoints in this behalf — Order IV Rule 1(1) CPC, read with Section 26, provides that every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the Court or such officer as it appoints in this behalf.

(A) न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी को दो प्रतियों में वादपत्र उपस्थित करके— आदेश IV नियम 1(1) CPC, धारा 26 के साथ पठित, उपबंधित करता है कि प्रत्येक वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी को दो प्रतियों में वादपत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा।

50. (C) Section 12 CPC — Section 12 CPC (bar to further suit) gives effect to rule-based bars such as those in Order II Rule 2, Order IX Rule 9 and Order XXIII Rule 1.

(C) धारा 12 CPC — धारा 12 CPC (अतिरिक्त वाद का वर्जन) आदेश 2 नियम 2, आदेश 9 नियम 9 और आदेश 23 नियम 1 जैसे नियम-आधारित वर्जनों को प्रभावी करती है।

51. (B) Where it has been passed by a court of a country which is not a reciprocating territory — Section 13 CPC lists six exceptions: incompetent court, not on merits, incorrect view of international law or refusal to recognise Indian law, opposed to natural justice, obtained by fraud, and breach of law in force in India. Reciprocity is relevant only for execution under Section 44A.

(B) जहाँ वह ऐसे देश के न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो व्यक्तिकारी राज्यक्षेत्र नहीं है — धारा 13 CPC में छह अपवाद हैं: अक्षम न्यायालय, गुणागुण पर न होना, अंतरराष्ट्रीय विधि का गलत दृष्टिकोण या भारतीय विधि को मान्यता देने से इनकार, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध, कपट से प्राप्त, और भारत में प्रवृत्त विधि का भंग। व्यक्तिकारिता केवल धारा 44क के अधीन निष्पादन हेतु सुसंगत है।

52. (D) Persons holding powers-of-attorney authorising them to make and do such appearances, applications and acts on behalf of the parties — Order III Rule 2 CPC recognises as agents persons holding powers-of-attorney authorising them to make appearances and applications and do acts on behalf of parties, and persons carrying on trade or business for parties not resident within the local limits of the court, in matters connected with such trade or business.

(D) ऐसे मुख्तारनामाधारी व्यक्ति जो उन्हें पक्षकारों की ओर से ऐसी उपसंज्ञातियाँ, आवेदन और कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं — आदेश III नियम 2 CPC ऐसे मुख्तारनामाधारी व्यक्तियों को, जो पक्षकारों की ओर से उपसंज्ञाति, आवेदन और कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं, तथा न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवासी पक्षकारों के लिए व्यापार या कारबार चलाने वाले व्यक्तियों को उस व्यापार या कारबार से संबंधित मामलों में मान्यताप्राप्त अभिकर्ता मानता है।

53. (A) any Court within whose local limits any portion of the property is situate, provided the entire claim is cognizable by that Court as to value — Section 17 CPC allows such a suit in any Court within whose local limits any portion of the property is situate, provided the entire claim is cognizable by that Court in respect of the value of its subject-matter.

(A) किसी भी ऐसे न्यायालय में जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है, परन्तु यह तब जब संपूर्ण दावा मूल्य की दृष्टि से उस न्यायालय द्वारा संज्ञेय हो — धारा 17 सि.प्र.सं. ऐसा वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित करने की अनुमति देती है जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है, परन्तु संपूर्ण दावा विषय-वस्तु के मूल्य की दृष्टि से उस न्यायालय द्वारा संज्ञेय होना चाहिए।

54. (C) either Kanpur or Delhi — Under Section 19 CPC, a suit for compensation for wrong to the person or to movable property may be instituted at the plaintiff's option where the wrong was done or where the defendant resides; the section's illustration is on these very facts.

(C) कानपुर या दिल्ली में से किसी में — धारा 19 CPC के अधीन शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति दोष के लिए प्रतिकर का वाद वादी के विकल्प पर वहाँ जहाँ दोष किया गया या जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, संस्थित किया जा सकता है; धारा का दृष्टांत इन्हीं तथ्यों पर है।



55. (B) Order II Rule 2 — Order II Rule 2(2) CPC: where a plaintiff omits to sue in respect of, or intentionally relinquishes, any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished.

(B) आदेश 2 नियम 2 — आदेश 2 नियम 2(2) CPC: जहाँ वादी अपने दावे के किसी भाग के संबंध में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है, वहाँ वह पश्चात् ऐसे लोप किए गए या त्यागे गए भाग के संबंध में वाद नहीं लाएगा।

56. (D) 90 days — Order VIII Rule 1 CPC permits extension up to 90 days from service of summons; the Supreme Court has treated this outer limit as directory for ordinary suits, while for commercial suits the 120-day limit is mandatory.

(D) 90 दिन — आदेश 8 नियम 1 CPC समन की तामील से 90 दिन तक विस्तार की अनुमति देता है; सामान्य वादों में उच्चतम न्यायालय ने इसे निदेशात्मक माना है, जबकि वाणिज्यिक वादों में 120 दिन की सीमा आज्ञापक है।

57. (A) Recognised agents and pleaders — Order III CPC deals with appearances, applications and acts through recognised agents and pleaders. Order I deals with parties, Order II with frame of suit and Order IV with institution of suits.

(A) मान्यताप्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर — आदेश 3 CPC मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं और प्लीडरों के माध्यम से उपसंज्ञाति, आवेदन और कार्यों से संबंधित है। आदेश 1 पक्षकार, आदेश 2 वाद की विरचना और आदेश 4 वादों के संस्थित किए जाने से संबंधित है।

58. (C) Two months — Section 80(1) CPC requires the expiry of two months after notice in writing has been delivered; Section 80(2) allows a suit for urgent or immediate relief with leave of the court without such notice.

(C) दो मास — धारा 80(1) CPC लिखित सूचना परिदत्त होने के पश्चात् दो मास की समाप्ति अपेक्षित करती है; धारा 80(2) तत्काल अनुतोष हेतु न्यायालय की इजाजत से बिना सूचना वाद की अनुमति देती है।

59. (D) may make a contract when he is of sound mind — Section 12 provides that a person usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind; conversely, a person usually of sound mind cannot contract while of unsound mind.

(D) जब वह स्वस्थचित हो तब संविदा कर सकता है — धारा 12 के अनुसार प्रायः विकृतचित किन्तु कभी-कभी स्वस्थचित व्यक्ति स्वस्थचित होने पर संविदा कर सकता है; इसके विपरीत प्रायः स्वस्थचित व्यक्ति विकृतचित होने के समय संविदा नहीं कर सकता।

60. (A) Section 13 — Section 13 defines consent; Section 14 defines free consent, Section 10 states what agreements are contracts and Section 2(h) defines contract.

(A) धारा 13 — धारा 13 सम्मति को परिभाषित करती है; धारा 14 स्वतंत्र सम्मति, धारा 10 कौन से करार संविदाएँ हैं तथा धारा 2(ज) संविदा को परिभाषित करती है।

61. (B) Coercion may be employed by any person to the prejudice of any person whatever, and it is immaterial whether the Indian Penal Code is in force where it is employed — Section 15 defines coercion as committing or threatening any act forbidden by the IPC, or unlawful detaining of property, to the prejudice of any person whatever, with intention of causing any person to enter into an agreement; the Explanation makes the place of employment immaterial.

(B) प्रपीड़न किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति के प्रतिकूल किया जा सकता है, और यह महत्वहीन है कि जहाँ प्रपीड़न किया गया वहाँ भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त है या नहीं — धारा 15 प्रपीड़न को IPC द्वारा निषिद्ध कार्य करने या उसकी धमकी देने, या संपत्ति का विधिविरुद्ध निरोध करने के रूप में परिभाषित करती है, जो किसी भी व्यक्ति के प्रतिकूल, किसी व्यक्ति से करार कराने के आशय से हो; स्पष्टीकरण के अनुसार स्थान महत्वहीन है।

62. (C) on the person in a position to dominate the will of the other — Section 16(3) shifts the burden: in an apparently unconscionable transaction, the person in a position to dominate must prove that the contract was not induced by undue influence.

(C) दूसरे की इच्छा पर प्रभुत्व रखने की स्थिति वाले व्यक्ति पर — धारा 16(3) भार को स्थानांतरित करती है: प्रत्यक्षतः लोकात्मा के प्रतिकूल संव्यवहार में प्रभुत्व की स्थिति वाले व्यक्ति को साबित करना होगा कि संविदा असम्यक् असर से उत्प्रेरित नहीं थी।

63. (A) not fraud, unless the circumstances are such that it is the duty of the person keeping silence to speak, or his silence is in itself equivalent to speech — The Explanation to Section 17 states that mere silence is not fraud unless there is a duty to speak or the silence is in itself equivalent to speech.

(A) कपट नहीं है, जब तक कि परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य हो, या उसका मौन स्वयं बोलने के तुल्य हो — धारा 17 का स्पष्टीकरण कहता है कि केवल मौन कपट नहीं है जब तक बोलने का कर्तव्य न हो या मौन स्वयं बोलने के तुल्य न हो।



64. (D) void — Section 20 makes an agreement void where both parties are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement; under Section 22, a unilateral mistake of fact does not make a contract voidable.

(D) शून्य है — धारा 20 के अनुसार जहाँ दोनों पक्षकार करार के लिए आवश्यक तथ्य-विषय की भूल में हों, करार शून्य है; धारा 22 के अनुसार एक पक्षकार की तथ्य की भूल से संविदा शून्यकरणीय नहीं होती।

65. (B) a mistake of fact — Section 21: a contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India, but a mistake as to a law not in force in India has the same effect as a mistake of fact.

(B) तथ्य की भूल — धारा 21: भारत में प्रवृत्त किसी विधि की भूल से संविदा शून्यकरणीय नहीं होती, किन्तु भारत में अप्रवृत्त विधि की भूल का प्रभाव तथ्य की भूल के समान है।

66. (C) Such a suit can be brought against the Government — Section 6(2) SRA bars a suit under this section after six months from dispossession and against the Government; Section 6(3) bars appeal and review from orders or decrees in such suits.

(C) ऐसा वाद सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है — धारा 6(2) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम बेकब्जा होने से छह मास के पश्चात् तथा सरकार के विरुद्ध इस धारा के अधीन वाद को वर्जित करती है; धारा 6(3) ऐसे वाद के आदेश या डिक्री से अपील और पुनर्विलोकन वर्जित करती है।

67. (A) Only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law — Section 4 of the Specific Relief Act provides that specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law.

(A) केवल वैयक्तिक सिविल अधिकारों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए, न कि केवल किसी दंड विधि को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए — विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 4 उपबंधित करती है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल वैयक्तिक सिविल अधिकारों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए दिया जा सकता है, न कि केवल किसी दंड विधि को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए।

68. (D) Section 20 — Section 20 (as substituted in 2018) lets the party who suffers a breach get the contract performed through a third party or its own agency, after 30 days' written notice, and recover costs from the defaulting party.

(D) धारा 20 — धारा 20 (2018 में प्रतिस्थापित) भंग से पीड़ित पक्षकार को 30 दिन की लिखित सूचना के पश्चात् किसी अन्य पक्षकार या अपने अभिकरण से संविदा का पालन कराने और व्यतिक्रमी पक्षकार से खर्च वसूलने की अनुमति देती है।

69. (B) a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law — Section 9 TPA permits oral transfer wherever writing is not expressly required by law; for example, writing is expressly required for sale of immovable property of value of 100 rupees or more (Section 54) and gift of immovable property (Section 123).

(B) संपत्ति का अंतरण हर उस दशा में बिना लिखत के किया जा सकता है जिसमें विधि द्वारा लेख स्पष्ट: अपेक्षित नहीं है — धारा 9 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार जहाँ विधि द्वारा लेख स्पष्ट: अपेक्षित नहीं है वहाँ मौखिक अंतरण हो सकता है; जैसे 100 रुपये या अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति के विक्रय (धारा 54) और स्थावर संपत्ति के दान (धारा 123) में लेख अपेक्षित है।

70. (A) the condition is void and the transfer is valid — Section 10 TPA declares void a condition absolutely restraining the transferee from parting with or disposing of his interest; the transfer itself stands. An exception is a lease where the condition is for the benefit of the lessor.

(A) शर्त शून्य है और अंतरण विधिमान्य है — धारा 10 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरिती को अपने हित का अन्यसंक्रामण करने से आत्यंतिक रूप से अवरुद्ध करने वाली शर्त शून्य है; अंतरण स्वयं विधिमान्य रहता है। पट्टे में पट्टाकर्ता के फायदे की शर्त अपवाद है।

71. (D) the easements annexed to it — Section 8 TPA passes all interest the transferor can pass, and in the case of land includes the easements annexed to it, the rents and profits accruing after the transfer, and things attached to the earth.

(D) उससे उपाबद्ध सुखाचार — धारा 8 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरक जो भी हित अंतरित कर सकता है वह संक्रांत होता है, और भूमि की दशा में उससे उपाबद्ध सुखाचार, अंतरण के पश्चात् प्रोद्भूत भाटक और लाभ तथा भूबद्ध वस्तुएँ सम्मिलित हैं।

72. (C) The chance of an heir-apparent succeeding to an estate (spes successionis) and similar mere possibilities.

(C) किसी प्रत्यक्ष वारिस का किसी संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना — धारा 6(क) संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रत्यक्ष वारिस के उत्तराधिकारी होने की संभावना (स्पेस सक्सेशनिस) और ऐसी अन्य मात्र संभावनाओं के अंतरण को वर्जित करती है।



73. (B) void — Section 12 TPA makes void a condition or limitation that an interest shall determine on the transferee becoming insolvent or attempting to transfer it, except in a lease for the benefit of the lessor.

(B) शून्य है — धारा 12 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरिती के दिवालिया होने या हित अंतरित करने का प्रयत्न करने पर हित समाप्त होने की शर्त शून्य है, सिवाय पट्टाकर्ता के फायदे वाले पट्टे के।

74. (A) A discontinuous easement — Section 5 of the Easements Act classifies easements as continuous (enjoyment may be continual without the act of man) or discontinuous (needing the act of man for enjoyment); its illustration states that a right of way annexed to A's house over B's land is a discontinuous easement.

(A) एक असतत सुखाचार — सुखाचार अधिनियम की धारा 5 सुखाचारों को सतत (जिनका उपभोग मानव कार्य के बिना निरंतर हो सकता है) और असतत (जिनके उपभोग के लिए मानव कार्य आवश्यक है) में वर्गीकृत करती है; इसका दृष्टांत बताता है कि B की भूमि पर A के घर से संलग्न मार्गाधिकार असतत सुखाचार है।

75. (D) shall be dismissed although limitation has not been set up as a defence — Section 3 casts a duty on the court to dismiss a time-barred suit, appeal or application even if limitation is not pleaded, subject to Sections 4 to 24.

(D) खारिज कर दिया जाएगा, यद्यपि परिसीमा को प्रतिरक्षा के रूप में न उठाया गया हो — धारा 3 न्यायालय पर कालवर्जित वाद, अपील या आवेदन को खारिज करने का कर्तव्य डालती है, भले ही परिसीमा का अभिवाक न किया गया हो, धारा 4 से 24 के अधीन रहते हुए।

76. (C) in the handwriting of, or in a writing signed by, the person making the payment — Section 19 of the Limitation Act gives a fresh period from the date of part payment of a debt or interest, but (save for interest paid before 1 January 1928) an acknowledgment of the payment must appear in the handwriting of, or in a writing signed by, the person making the payment.

(C) संदाय करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षरित लेख में, या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लेख में हो — परिसीमा अधिनियम की धारा 19 ऋण या ब्याज के भागतः संदाय की तारीख से नई अवधि देती है, किन्तु (1 जनवरी 1928 से पूर्व संदत्त ब्याज के सिवाय) संदाय की अभिस्वीकृति संदाय करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षरित लेख में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लेख में होनी चाहिए।

77. (D) on the day when the court reopens — Section 4 allows the suit, appeal or application to be instituted, preferred or made on the day the court reopens, where the prescribed period expires on a day the court is closed.

(D) उस दिन जब न्यायालय पुनः खुलता है — धारा 4 के अनुसार जहाँ विहित अवधि न्यायालय बंद होने के दिन समाप्त होती है, वहाँ वाद, अपील या आवेदन न्यायालय के पुनः खुलने के दिन संस्थित, प्रस्तुत या किया जा सकता है।

78. (C) 3 years — Article 113 of the Schedule prescribes three years from when the right to sue accrues for suits not otherwise provided for.

(C) 3 वर्ष — अनुसूची का अनुच्छेद 113 अन्यथा उपबंधित न होने वाले वादों के लिए वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने से तीन वर्ष विहित करता है।

79. (B) All the widows together take one share — Section 10, Rule 1 HSA provides that the intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share in the distribution among Class I heirs.

(B) सभी विधवाएँ मिलकर एक अंश लेती हैं — धारा 10, नियम 1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम उपबंधित करता है कि वर्ग I के वारिसों में वितरण में निर्वसीयत की विधवा, या यदि एक से अधिक विधवाएँ हों तो सभी विधवाएँ मिलकर, एक अंश लेंगी।

80. (A) the seventh step is taken — Section 7(2) HMA: where the ceremonies include saptapadi (seven steps jointly before the sacred fire), the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken.

(A) जब सातवाँ पद लिया जाता है — धारा 7(2) हिन्दू विवाह अधिनियम: जहाँ कर्मकांडों में सप्तपदी (पवित्र अग्नि के समक्ष संयुक्त रूप से सात पद) सम्मिलित है, वहाँ सातवाँ पद लेने पर विवाह पूर्ण और आबद्धकर होता है।

81. (D) directory and may be waived by the court in appropriate cases — In Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017) the Court held the cooling-off period under Section 13B(2) is directory, and the court may waive it where parties have genuinely settled and there is no chance of reconciliation.

(D) निदेशात्मक है और उचित मामलों में न्यायालय द्वारा अधित्यक्त की जा सकती है — अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) में न्यायालय ने धारा 13B(2) की प्रतीक्षा अवधि को निदेशात्मक माना, और जहाँ पक्षकारों ने वास्तविक समझौता कर लिया हो तथा सुलह की कोई संभावना न हो वहाँ न्यायालय उसे अधित्यक्त कर सकता है।



82. (C) By blood or adoption wholly through males — Section 3(1)(a) HSA defines an agnate as a person related to another by blood or adoption wholly through males; under Section 3(1)(c) a cognate is one so related but not wholly through males.

(C) रक्त या दत्तक द्वारा पूर्णतः पुरुषों के माध्यम से — धारा 3(1)(a) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम गोत्रज को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो दूसरे से रक्त या दत्तक द्वारा पूर्णतः पुरुषों के माध्यम से संबंधित है; धारा 3(1)(c) के अधीन भिन्नगोत्रज वह है जो इस प्रकार संबंधित है किन्तु पूर्णतः पुरुषों के माध्यम से नहीं।

83. (B) The parties being sapindas of each other (Section 5(v)), unless custom permits — Section 11 HMA makes void a marriage contravening clauses (i) (bigamy), (iv) (prohibited degrees) and (v) (sapinda) of Section 5. Unsoundness of mind and fraud make a marriage voidable under Section 12; breach of the age condition is neither.

(B) पक्षकारों का एक-दूसरे का सपिंड होना (धारा 5(v)), जब तक रुढ़ि अनुज्ञात न करे — धारा 11 हिन्दू विवाह अधिनियम धारा 5 के खंड (i) (द्विविवाह), (iv) (प्रतिषिद्ध नातेदारी) और (v) (सपिंड) के उल्लंघन वाले विवाह को शून्य बनाती है। चित्तवृत्ति और कपट धारा 12 के अधीन विवाह को शून्यकरणीय बनाते हैं; आयु की शर्त का उल्लंघन इनमें से कुछ नहीं बनाता।

84. (A) Khula — Khula is divorce at the wife's instance for consideration paid or agreed to be paid to the husband. In mubarat both spouses desire the separation; ıla (vow of abstinence) and zihar (comparing the wife to a prohibited relation) are acts of the husband.

(A) खुला — खुला पत्नी की पहल पर पति को दिए गए या दिए जाने हेतु करार किए गए प्रतिफल के बदले विवाह-विच्छेद है। मुबारत में दोनों पति-पत्नी पृथक्करण चाहते हैं; ईला (संस्मरण-त्याग की शपथ) और जिहार (पत्नी की तुलना प्रतिषिद्ध नातेदार से करना) पति के कृत्य हैं।

85. (D) Void (batil) — A marriage in breach of an absolute prohibition (consanguinity, affinity or fosterage) is void (batil) ab initio and creates no rights or obligations, whereas breach of a relative prohibition, such as absence of witnesses, makes it only irregular (fasid).

(D) शून्य (बातिल) — आत्यंतिक प्रतिषेध (रक्त-संबंध, विवाह-संबंध या धात्री-संबंध) के उल्लंघन में किया गया विवाह आरंभ से शून्य (बातिल) है और कोई अधिकार या बाध्यता सृजित नहीं करता, जबकि सापेक्ष प्रतिषेध, जैसे साक्षियों की अनुपस्थिति, के उल्लंघन से विवाह केवल अनियमित (फासिद) होता है।

86. (C) two years — Section 2(ii) of the 1939 Act: failure to maintain for two years. Four years relates to whereabouts of the husband not known, seven years to his sentence of imprisonment and three years to failure to perform marital obligations.

(C) दो वर्ष — 1939 के अधिनियम की धारा 2(ii): दो वर्ष तक भरण-पोषण में असफलता। चार वर्ष पति का पता न होने, सात वर्ष कारावास के दंडादेश तथा तीन वर्ष वैवाहिक दायित्वों के पालन में असफलता से संबंधित हैं।

87. (B) three years — Section 3 of the 2019 Act declares talaq-e-biddat void and illegal, and Section 4 punishes it with imprisonment up to three years and fine. The Act followed Shayara Bano v. Union of India (2017).

(B) तीन वर्ष — 2019 के अधिनियम की धारा 3 तलाक-ए-बिदत को शून्य और अवैध घोषित करती है, तथा धारा 4 तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित करती है। यह अधिनियम शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) के पश्चात् आया।

88. (D) Bolam v. Friern Hospital Management Committee (1957) — The Bolam test (Bolam v. Friern Hospital Management Committee, 1957) measures a professional's standard of care by that of the ordinary skilled practitioner; the Supreme Court adopted it for medical negligence in Jacob Mathew v. State of Punjab (2005).

(D) बोलम बनाम फ्रिअर्न हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी (1957) — बोलम परीक्षण (बोलम बनाम फ्रिअर्न हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी, 1957) वृत्तिक की सावधानी के मानक को सामान्य कुशल व्यवसायी के मानक से मापता है; उच्चतम न्यायालय ने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) में चिकित्सीय उपेक्षा के लिए इसे अपनाया।

89. (A) Injuria sine damno — In Ashby v. White (1703) a voter wrongfully prevented from voting succeeded even though his candidate won: violation of a legal right is actionable without proof of damage (injuria sine damno).

(A) इंजुरिया साइन डैमनो (क्षति के बिना विधिक हानि) — एशबी बनाम व्हाइट (1703) में मतदान से सदोष रोके गए मतदाता ने वाद जीता, यद्यपि उसका प्रत्याशी जीत गया था: विधिक अधिकार का अतिलंघन क्षति के सबूत के बिना अनुयोज्य है (इंजुरिया साइन डैमनो)।



90. (C) Hans Kelsen — Hans Kelsen's Pure Theory of Law treats the legal order as a hierarchy of norms whose validity is ultimately traced to a basic norm, the Grundnorm.

(C) हांस केल्सन — हांस केल्सन का विधि का शुद्ध सिद्धांत विधिक व्यवस्था को मानदंडों का पदानुक्रम मानता है, जिनकी विधिमान्यता अंततः मूल मानदंड (ग्रुन्डनॉर्म) से निकलती है।

91. (B) Sir John Salmond — Salmond (with Austin) treats negligence subjectively as a culpable state of mind of careless indifference, whereas the objective theory associated with Pollock treats it as conduct falling below the standard of care of a reasonable man.

(B) सर जॉन सामंड — सामंड (ऑस्टिन के साथ) उपेक्षा को व्यक्तिनिष्ठ रूप से असावधान उदासीनता की दोषपूर्ण मनःस्थिति मानते हैं, जबकि पोलक से संबद्ध वस्तुनिष्ठ सिद्धांत इसे युक्तियुक्त व्यक्ति की सावधानी के मानक से निम्न आचरण मानता है।

92. (D) Caparo Industries plc v. Dickman (1990) — In Caparo Industries plc v. Dickman (1990) the House of Lords set out the threefold test of foreseeability, proximity and whether it is fair, just and reasonable to impose a duty, moving away from the broader two-stage test of Anns v. Merton (1978).

(D) कैपेरो इंडस्ट्रीज पीएलसी बनाम डिकमैन (1990) — कैपेरो इंडस्ट्रीज पीएलसी बनाम डिकमैन (1990) में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पूर्वानुमेयता, निकटता तथा कर्तव्य अधिरोपित करने के ऋजु, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होने का त्रि-स्तरीय परीक्षण निर्धारित किया और एन्स बनाम मर्टन (1978) के व्यापक द्वि-स्तरीय परीक्षण से हट गया।

93. (A) Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) — A 13-judge bench in Kesavananda Bharati (1973) held that Parliament can amend any part of the Constitution but cannot alter its basic structure. Minerva Mills (1980) later applied the doctrine.

(A) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) — केशवानंद भारती (1973) में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है किन्तु उसके मूल ढाँचे को नहीं बदल सकती। मिनेरवा मिल्स (1980) ने बाद में इस सिद्धांत को लागू किया।

94. (B) Lalita Kumari v. Government of U.P. (2013) — In Lalita Kumari (2013) the Constitution Bench held registration of an FIR under Section 154 CrPC mandatory where a cognizable offence is disclosed, allowing preliminary inquiry only in limited categories where it is unclear whether a cognizable offence is disclosed.

(B) ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) — ललिता कुमारी (2013) में संविधान पीठ ने संज्ञेय अपराध प्रकट होने पर CrPC धारा 154 के अधीन FIR रजिस्ट्रीकरण को आज्ञापक माना, और प्रारंभिक जाँच केवल उन सीमित श्रेणियों में अनुमत की जहाँ यह स्पष्ट न हो कि संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं।

95. (C) Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) — Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) laid down guidelines, including a checklist under Section 41(1)(b)(ii) CrPC, against routine arrests in offences punishable up to seven years, especially Section 498A IPC.

(C) अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) — अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) ने सात वर्ष तक दंडनीय अपराधों, विशेषकर IPC धारा 498क, में नियमित गिरफ्तारी के विरुद्ध CrPC धारा 41(1)(ख)(ii) की जाँच सूची सहित दिशानिर्देश दिए।

96. (D) 2, 1, 4, 3 — Kesavananda Bharati (1973), Maneka Gandhi (1978), Vishaka (1997) and K.S. Puttaswamy (2017).

(D) 2, 1, 4, 3 — केशवानंद भारती (1973), मेनका गांधी (1978), विशाखा (1997) तथा केएस. पुट्टस्वामी (2017)।

97. (A) A citizen cannot waive a fundamental right guaranteed by the Constitution — In Basheshar Nath (1959) the Supreme Court held that fundamental rights, at any rate the right under Article 14, cannot be waived, because they are placed in the Constitution as a matter of public policy and not merely for individual benefit.

(A) नागरिक संविधान द्वारा प्रत्याभूत किसी मूल अधिकार का अधित्यजन नहीं कर सकता — बशेशर नाथ (1959) में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मूल अधिकारों का, कम से कम अनुच्छेद 14 के अधिकार का, अधित्यजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे संविधान में लोक नीति के रूप में रखे गए हैं, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं।

98. (B) Section 66A — Shreya Singhal (2015) struck down Section 66A of the IT Act as violative of Article 19(1)(a) and not saved by Article 19(2); Section 69A (blocking) was upheld and Section 79 read down.

(B) धारा 66क — श्रेया सिंघल (2015) में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66क को अनुच्छेद 19(1)(क) का उल्लंघनकारी और अनुच्छेद 19(2) से अरक्षित मानकर निरस्त किया गया; धारा 69क (अवरोधन) को बनाए रखा गया तथा धारा 79 का संकुचित अर्थ लगाया गया।

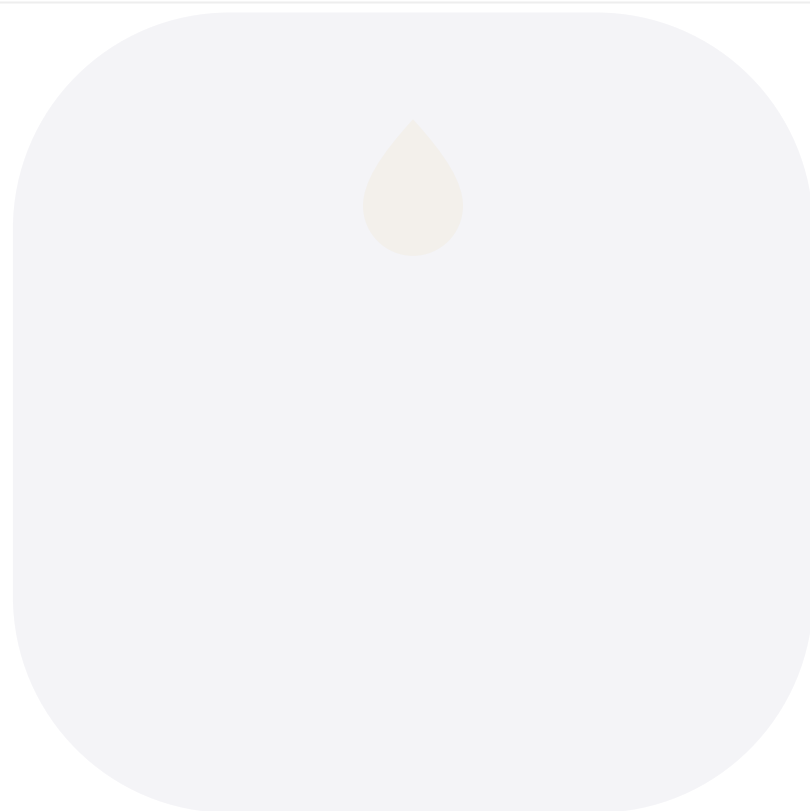


99. (C) Bachan Singh v. State of Punjab (1980) — In Bachan Singh (1980) a Constitution Bench upheld the death penalty for murder and held it should be imposed only in the rarest of rare cases. Machhi Singh (1983) later laid down categories for applying it, and Mithu struck down mandatory death under Section 303 IPC.

(C) बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) — बचन सिंह (1980) में संविधान पीठ ने हत्या के लिए मृत्यु दंड को बनाए रखा और कहा कि यह केवल विरल से विरलतम मामलों में दिया जाए। मच्छी सिंह (1983) ने बाद में इसे लागू करने की श्रेणियाँ बताईं, और मिठू ने IPC धारा 303 के आज़ापक मृत्यु दंड को निरस्त किया।

100. (D) Selvi v. State of Karnataka (2010) — In Selvi v. State of Karnataka (2010) a three-judge bench held that compulsory narco-analysis, polygraph and BEAP tests violate the right against self-incrimination and personal liberty; voluntarily taken results are not admissible by themselves, though information discovered may be.

(D) सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) — सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अनिवार्य नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और BEAP परीक्षण आत्म-अभिशासन के विरुद्ध अधिकार और वैयक्तिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हैं; स्वैच्छिक परीक्षण के परिणाम स्वयं ग्राह्य नहीं, यद्यपि उनसे पता चली जानकारी ग्राह्य हो सकती है।



NYAYA PATHSHALA

